सत्यमेव जयते

ज्ञानवार्ता

प्रथम संस्करण अंक : 1 वर्ष : 2010

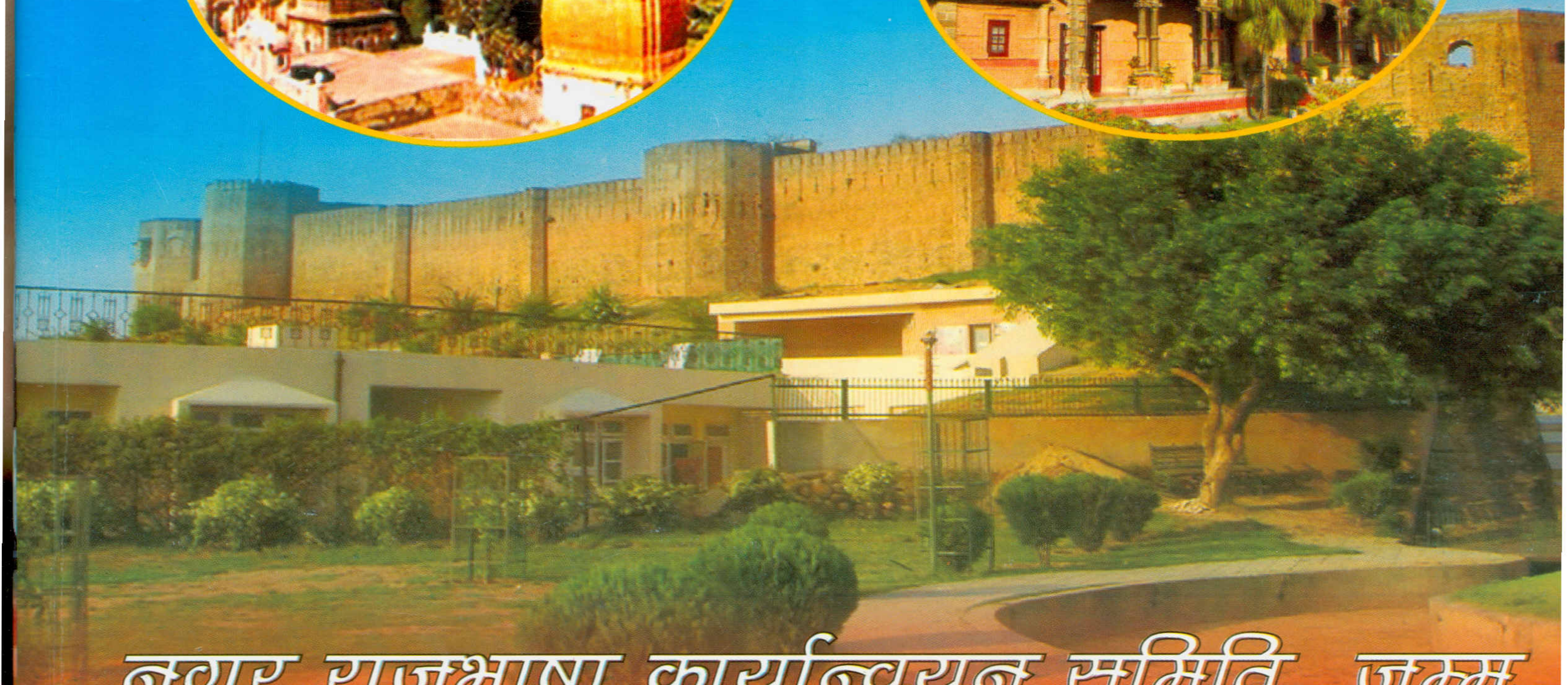

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

पाँच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठयक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ करते हुए संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष नराकास डॉ. राम विश्वकर्मा

जून 2009 की नराकास बैठक एस बी आई प्रशासनिक कार्यालय द्वारा प्रायोजित की गई इस अवसर पर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. एस सी तनेजा का स्वागत करते हुए प्रशासनिक कार्यालय जम्मू के उप महाप्रबंधक श्री के.के.अय्यर।

बी.एस.एफ. फ्रांटियर मुख्यालय जम्मू में हिन्दी सप्ताह को संबोधित करते हुए उपमहानिरीक्षक ।

पाँच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष नराकास, डॉ. राम विश्वकर्मा ।

अनुवाद प्रशिक्षण के समापन अवसर पर प्रतियोगियों को प्रमाण–पत्र प्रदान करते हुए संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष, नराकास डॉ. राम विश्वकर्मा ।

नराकास जम्मू की बैठक पी.एन.बी. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रायोजित की गयी इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष डॉ. राम विश्वकर्मा का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए पी.एन.बी. के श्री आर.सी.कौल, उपमहाप्रबंधक ।

अध्यक्ष की कलम से....

भारत एक स्वतंत्र एवं प्रजातांत्रिक देश है, जहाँ विविध भाषाएं एवं संस्कृतियों का अनोखा संगम है। इन विविध बोली एवं भाषाओं के माध्यम से देश की एकता, अखण्डता पर मुझे गर्व है और इस एकता की कड़ी में बहुत से तत्व हैं जिनमें एक भाषा तत्व भी है। यदि हम विचार करें कि हम सब एकत्रित रहे एक दूसरे से संवाद करें लेकिन एक क्षेत्र के लोग या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों के व्यक्तियों की भाषा-बोली न समझें तो उनके साथ मैत्रीयता एवं कार्य-व्यापार कैसे सम्भव हो अर्थात् एक दूसरे को कैसे समझें या आत्मसात किया जा सकता है । इसी उद्देश्य से प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा या राजभाषा निर्धारित की जाती है लेकिन यह निर्धारण उस देश की जनता व उस देश की अधिसंख्यक जनता उस भाषा विशेष को समझती हो जिसमें समस्त कार्य करने की क्षमता हो जो विविध भाषा-भाषियों के बीच सरल एवं सुबोध भाषा शैली में अपने संवाद स्थापित कर सकें। यही वे समस्त गुण हमारी राजभाषा हिन्दी में हैं। जो समूचे भारत संघ की राष्ट्रभाषा है भारत संघ के लोग समझते हैं फिर भी हिन्दी में कार्य करने में झिझक महसूस करते है।

हमारा प्रयास यही है कि सरकारी स्तर पर अपने कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी भाषा में किया जाए ताकि नगर राजभाषा कार्यानवयन समिति के सभी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति सुनिश्चित् हो सके। मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि जम्मू नगर के सभी केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/मास/हिन्दी कार्यशालाएं आदि नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। फिर भी मुझे विश्वास है कि राजभाषा की उन्नति एवं विकास हेतु सभी कार्यालय प्रमुखों ने हिन्दी कार्यान्वयन को प्रगतिशील बनाने के लिए समुचित प्रबंध किए हैं और 'ग' क्षेत्र होते हुए समिति उत्कृष्ट कार्य कर रही है जम्मू नगर समिति उत्तर भारत के सात राज्यों में से अकेली एकमात्र हिन्दीत्तर भाषी क्षेत्र में होने पर भी हिन्दी की प्रगति के लिए आपके प्रयास सराहनीय हैं। किसी भाषा को गतिशील बनाने में लेखकों, रचनाकारों तथा पाठकों का विशिष्ट योगदान होता है।

राजभाषा का कार्यान्वयन हमारे लिए आप सबके लिए विशिष्ट महत्वपूर्ण, संवैधानिक एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह्न करने में है। यदि राजभाषा कार्यान्वयन संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसे हर सम्भव उसके पूर्ति के लिए प्रयास जारी रहेंगे लेकिन मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। मैं समिति के सभी सहयोगी बंधुओं, लेखकों, रचनाकारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस आशय के साथ कि पत्रिका अपने उद्देश्य में सफल होगी।

'ज्ञानवार्ता' के श्रेष्ठ संपादन एवं सफल प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को मंगलकामनाएं

शुभेच्छु

राम विश्वकर्मा

(राम विश्वकर्मा)
निदेशक, आई.आई.आई.एम.जम्मू,
एवं अध्यक्ष नराकास जम्मू

संपादकीय

ज्ञानवार्ता का प्रथम अंक प्रबुद्ध पाठकों के कर कमलों में प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। समिति के सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की थी कि समिति की ओर से गृह पत्रिका का प्रकाशन किया जाए । पत्रिका का प्रकाशन इसी उद्‌देश्य का प्रतिफल है। मुझे विश्वास है कि आगामी अंक इस अंक से और बेहतर होगा।

किसी स्वाधीन राष्ट्र की राजभाषा, राष्ट्रीय चेतना, संस्कृति, परम्पराओं, मान्यताओं की संवाहिका तथा उस राष्ट्र की जनता के आपसी सद्‌भाव, विचारों के सम्प्रेषण एवं जनसामान्य के सम्पर्क की सबसे सशक्त माध्यम होती है । किसी राष्ट्र के समग्र विकास में भाषा ही वह तत्व है जो विशेषत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में आई क्रान्ति का एक मात्र प्रमुख आधार है । यह निर्विवाद सत्य है कि देश के ज्ञान-विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के लिए मौलिक चिन्तन अपनी ही स्वदेशी भाषाओं के माध्यम से करें और इसका समग्र रूप में सर्वाधिक लाभ देश के जनसामान्य तक पहुँचाया जाए । यह भी आवश्यक है कि हम प्रौद्योगिकी जैसे विषय, विज्ञापन, आधुनिक खाद्य उत्पादों व अन्य उत्पादों के लेवल अपनी भाषाओं के माध्यम से बनाएं । यह भी सत्य है कि देश की जनता आर्थिक रूप से जितनी सम्पन्न होगी उतना ही हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा । यद्यपि भारत में अंग्रेजी का प्रयोग साम्राज्यवाद की देन है । सामन्तसाही विदेशी अरबपतियों की चाह है कि भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रहे । इसी प्रकार हिन्दी का प्रयोग आर्थिक आत्मनिर्भता पर पूर्णत: आधारित है । ज्ञानवार्ता के सुधी पाठक गहराई से इस तथ्य को समझेंगे और तभी राजभाषा की प्रगति सर्वत्र सम्भव हो सकेगी ।

पत्रिका प्रकाशन के मार्गदर्शन एवं सुविचारित परामर्श के लिए संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष, नराकास, जम्मू, डॉ. राम विश्वकर्मा जी के प्रति विनम्र भाव से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसके अतिरिक्त नराकास, जम्मू के सम्माननीय कार्यालय प्रमुखों व संपादक मंडल में शामिल सभी सहयोगी मित्रों, लेखकों तथा रचनाकारों का भी मै हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से पत्रिका के प्रकाशन में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया । इस आशय के साथ कि निकट भविष्य में भी मुझे आप सभी सदस्यों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता रहेगा । इसके अतिरिक्त मेरे सहयोगी श्री राजेश कुमार का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और निष्ठा से ज्ञानवार्ता के टंकण कार्य में भरपूर सहयोग किया ।

नव वर्ष की मंगलकामनाओं के साथ!

(डॉ. अमर सिंह)
वरि. हिन्दी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव, नराकास जम्मू

नराकास समिति की राजभाषा शील्ड का प्रदर्शन करते हुए पूर्व अध्यक्ष डॉ. जी.एन.काज़ी ।

हिन्दी सप्ताह, 2009 के दौरान प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक डॉ. राम विश्वकर्मा ।

हिन्दी सप्ताह के दौरान प्रतियोगिताओं में भाग लेते प्रतियोगी ।

नराकास जम्मू राजभाषा शील्ड का प्रदर्शन करते हुए पूर्व अध्यक्ष डॉ. जी.एन.काज़ी ।

अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागी ।

नराकास जम्मू की बैठक को संबोधित करते हुए श्री बालेश्वर राय, सचिव, राजभाषा, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

हिन्दी सप्ताह समापन समारोह के अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. राम विश्वकर्मा को स्मृति–चिन्ह भेंट करते हुए वरि. वैज्ञानिक डॉ. एस.सी.तनेजा ।

नराकास जम्मू बैठक की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के निदेशक डॉ. राम विश्वकर्मा ।

जम्मू नराकास बैठक में उपस्थित सदस्यगण

जम्मू नराकास बैठक में उपस्थित कार्यालय प्रमुख

संस्थान में हिन्दी कार्यशाला में व्याख्यान देते हुए सी.एस.आई.आर. नई दिल्ली के वरि. हिन्दी अधिकारी डॉ. पूरनपाल ।

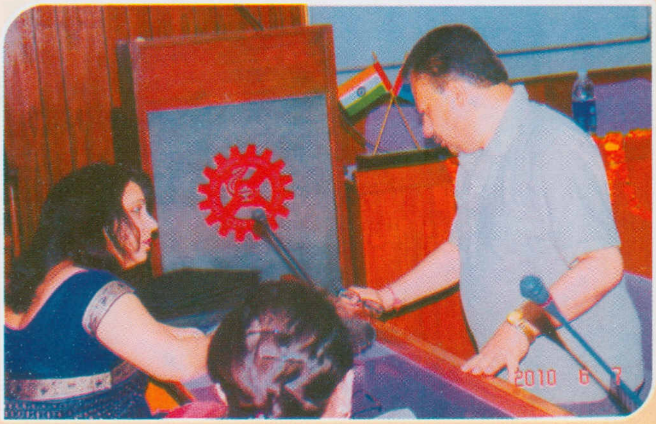

अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीकरण करती श्रीमती रजनी कुमारी एवं प्रतिभागी ।

वर्ष–1 अंक : प्रथम छमाही गृह पत्रिका

संरक्षक

डॉ. राम विश्वकर्मा
निदेशक आइ आइ आइ एम व अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

प्रधान संपादक

डॉ. अमर सिंह

वरि० हिन्दी अधिकारी एवं सचिव

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

संपादक मंडल

- श्री रामेश्वर दयाल
- श्री रवीन्द्र नाज़
- श्री रामगणेश बागरी
- श्री जॉनसन गिल
- श्री बीरेन्द्र सिहं
- श्रीमती उमा कौल

सहयोग

श्री राजेश कुमार (हिन्दी टंकक)

नोटः-

इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। नराकास जम्मू व सम्पादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

संयोजक संपर्कसूत्र –नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

भारतीय समवेत औषध संस्थान,
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)

नहर मार्ग, जम्मू तवी–180001(भारत)

दूरभाषः 0191-2569000-10 Fax- 0191-2569333

E mail : amarsingh@IIIm.ras.in

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियाँ

- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सभी सदस्य कार्यालयों में बेहतर ढंग से हो रहा है। पत्राचार में वृद्धि हो रही है जबकि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में देने का क्रम जारी है।
- संसदीय समिति द्वारा विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया गया सभी कार्यालय निरीक्षणों को गम्भीरता से लेते हुए उनके आदेशों का अनुपालन कड़ाई से कर रहे हैं।
- राजभाषा विभाग द्वारा जारी नियम/अधिनियम/सूचनाएं सभी कार्यालयों को समिति द्वारा समय से प्रेषित किए जाते हैं।
- सभी कार्यालयों में कम्प्यूटरों के माध्यम से हिन्दी में कार्य सम्पन्न किए जा रहे हैं ।
- जम्मू में हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। जम्मू स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/बैंकों/उपक्रमों/निगमों के कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, विभिन्न कार्यालयों में लगभग 95 प्रतिशत कर्मचारी प्रशिक्षित हो चुके हैं और जो कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए शेष हैं उन्हें बारी-बारी से प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा रहा है।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी कार्यालयों को आमंत्रित किया जाता है।
- समिति के प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/मास का आयोजन किया जाता है और उनकी रिपोर्टें नियमानुसार प्राप्त होती है। इस वर्ष लगभग सभी कार्यालयों ने ऐसे आयोजन किए हैं।
- सभी कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं और उनके कार्यवृत्त, तिमाही रिपोर्टें नियमानुसार समय से प्राप्त हो रही है।
- अध्यक्ष, नराकास द्वारा सदस्य कार्यालयों को अच्छा कार्य करने पर पुरस्कृत किया जा रहा है।
  नगर समिति कार्यालय द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की समेकित प्रशासन शब्दावली सभी सदस्य कार्यालयों में उपलब्ध करवाई गयी है।
- यदि सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी समस्याएं हो तो उन्हें दूर करने के प्रयास किए जाते हैं।
- नराकास जम्मू के सभी कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकें के साहित्य की उपलब्धता है।

संक्षिप्त अनुवाद पाठ्यक्रम

केन्द्रीय अनुवाद ब्युरो, भारत सरकार, राजभाषा विभाग की ओर से भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू में दिनांक 07-11 जून, 2010 के दौरान पांच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न कार्यालयों के 26 हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों ने प्रशिक्षण लिया। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली से व्याख्याता के रूप में श्री विजय राम नौटियाल, प्रशिक्षण अधिकारी, डॉ. चैनपाल सिंह, सहायक निदेशक ने प्रशिक्षण दिया और संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष नराकास डॉ. राम विश्वकर्मा ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अमर सिंह को हिन्दी अधिकारी एवं सचिव नराकास ने किया।

विषय-सूची

1.	सकारात्मक दृष्टिकोण-एक दृष्टि में	– एस.के.गर्ग	01
2.	पूर्णता	– अर्पिता सक्सेना	02
3.	समर्पण	– बिमला गुप्ता	03
4.	कोई तारा हो जाऊं	– कु. आशा पटेल	04
5.	जीवन	– शशिभूषण	04
6.	कविता	– सुधीर कुमार	04
7.	मां	– अर्पिता सक्सेना	05
8.	वर्तमान परिदृश्य में राजभाषा हिन्दी की स्थिति	– रामेश्वर लाल मीणा	06
9.	कविता	– टी.पी.एस.चौहान	08
10.	सुकृति के सद् पुष्प सजाऐं	– विक्रम सिंह परेवा	08
11.	जिजीविषा	– मंजू	09
12.	एकदृष्टि	– रामेश्वर दयाल	10
13.	यह मेरे सफेद बाल	– सुनील खजुरिया	11
14.	गज़ल	– रवि गुप्ता	11
15.	मुख्य महाप्रबंधक, भा.सं.नि.लि., जम्मू कश्मीर परिमंडल जम्मू की राजभाषा कार्यान्वयन रिपोर्ट	– तृप्ता	12
16.	अंकों का परिचय	– रामेश्वर दयाल	13
17.	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,	– सुभाष चन्द शर्मा	16
18.	शान्ति	– सुभाष चन्द शर्मा	18
19.	सम्पर्क भाषा	– चेतन स्वरूप शर्मा	18
20.	पोखर	– तृप्ता	18

21.	राष्ट्रीय समर्थ भाषा	–	चेतन स्वरूप शर्मा	19
22.	हिन्दी बेचारी अपनों से हारी	–	रमेश चन्द्र भट्ट	20
23.	राजभाषा व्यंग्य	–	त्रिलोक चन्द शर्मा	24
24.	नोटिंग शीट	–	सुन्दर सहनी	25
25.	हिन्दी दिवस समारोह रिपोर्ट	–	रमेश चन्द्र भट्ट	2 5
26.	क्या तुमसे एक बात कहूँ	–	दिनेश कुमार सिन्हा	26
27.	जीवन की उपलब्धियां	–	सुन्दर सहनी	26
28.	एन.एच.पी.सी. जल विद्युत उत्पादन	–	उमा कौल	27
29.	संघ की राजभाषा के सन्दर्भ में घटनाक्रम	–		28
30.	भारतीय संस्कृति में शिष्टाचार एवं अभिवादन का महत्व	–	डॉ. अनिल कुमार सिंह	33
31.	भारतीय संस्कृति और संस्कृत	–	वेद प्रकाश रैणा	35
32	पिंजरे का तोता	–	उषा किरण –'किरण'	36
33.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – एक परिचय	–	रा. कृष्णाय्या, वाई.के.कनोत्रा	37
34.	संरक्षण की आवश्यकता	–	रा. कृष्णाय्या, वाई.के.कनोत्रा	38
35.	अनुसंधान एवं विकास संगठनों में	–	अमर सिंह	39
36.	कार्यालय में दैनिक प्रयोग की टिप्पणियां राजभाषा हिन्दी का प्रयोग	–	अमर सिंह	45
37.	स्वाभिमान	–	जॉनसन गिल	46
38.	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए- आवश्यक निदेश			48

सकारात्मक दृष्टिकोण-एक दृष्टि में

सकारात्मक दृष्टिकोण ईश्वर का आर्शीवाद है, निःसन्देह यह चमत्कार से कम नहीं। केवल सकारात्मक दृष्टिकोण मात्र से वो दुर्लभ कार्यपूर्ण हो जाते हैं जोकि प्रारम्भ में हमें असम्भव जैसे लगते हैं। यह स्वाभाविक बात है कि कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मन में नकारात्मक भाव आने लगते हैं कि इस कार्य में अच्छे परिणाम को सर्वोपरि रखते हुए उसे महत्व देना चाहिए।

अपने अन्दर सकारात्मक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने हेतु हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की सोच नकारात्मक नहीं तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि वह सकारात्मक सोच का धनी है। उदाहरण के रूप में जिस तरह से खराब सेहत ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं, उसी तरह किसी व्यक्ति में नकारात्मकता ना होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है। अच्छा नजरिया रखने वाला व्यक्ति हर मौसम में फूलने वाले फल की तरह होता है जिसका स्वागत हर मौसम में होता है।

सकारात्मक सोच को सुदृढ़ व मजबूत बनाने में सहायक मंत्र ।

''बैन्जामिन फ्रेंकलिन के अनुसार जो काम हम आज कर सकते हैं उसे कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। इसके लिए स्वयं व्यवस्थित होना अत्यन्त आवश्यक है-

मस्त रहा व्यस्त रहा ।

अस्त व्यस्त मत रहा ।।

सैंट फ्रांसिस के अनुसार हम सर्वप्रथम वो कार्य करना प्रारम्भ करें जो आवश्यक है, फिर वो जो सम्भव है और इस प्रकार अचानक हम देखेंगे कि हम वो कार्य कर चुके हैं जोकि असम्भव सा लगता था। अच्छे कार्य की हमेशा तारीफ करना चाहिए तथा एहसानमंद होने का नजरिया बनाना चाहिए, इससे सभी में मोटीवेशन का भाव जागृत होगा। जो हम देते हैं वही हमको प्राप्त होता है। अतः परिणाम स्वरूप हमें खुद भी दूसरों के द्वारा मोटीवेशन की प्राप्ति होगी।

''प्रणाम का परिणाय आर्शीवाद ही होता है'' कोई भी सफल व्यक्ति कोई दूसरे प्रकार का कार्य नहीं करते बल्कि हर कार्य को दूसरे प्रकार से करते हैं। कार्य करने के अच्छे ढंग को हमेशा सीखने की चेष्टा करनी चाहिए। अज्ञानी होना उतने बड़े शर्म की बात नहीं जितना कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना रखना। अवसर बराबर नहीं आया करता। अब्राहम लिंकन के अनुसार इंतजार करने वालों को चीजे मिलती जरुर है लेकिन वही मिलती हैं जो संघर्ष करने वाले छोड़ देते है।

प्रत्येक व्यक्ति जीतने की इच्छा तो रखता है लेकिन जीतने के लिए पूर्ण तैयारी करने वाले व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। पूर्ण तैयारी को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है-

पूर्ण तैयारी =	उद्देश्य +	सिद्धान्त +	योजना	
(Preparation)	(Purpose)	(Principle)	(Planning)	
	+ अभ्यास +	लगातार प्रयास +	धैर्य	+ गर्व
	(Practice)	(Preservance)	(Patience)	(Pride)

सकारात्मक दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है -

1. अंग्रेजी शब्द IMPOSSIBLE को देखने व समझने का दृष्टिकोण बदलते ही यह निम्न रूप में परिवर्तित हो जाता है। IMPOSSIBLE I M POSSIBLE
2. बन्द घड़ी भी एक दिन में दो बार सही समय बताती है।
3. मैं आधे दिन कार्य करना चाहता हूँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 12 घंटे पहले हैं या बाद के 12 घंटे ।
4. अंधेरे को कोसने से बेहतर होगा उसमें एक दीपक जलाना ।

अन्त में निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें नाकामयाबी से डरना नहीं है यह तो सभी के जीवन में आती है, हमें नाकामयाबी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना चाहिए ।

''सब कहते हैं कि नाकामयाब होकर मैं बिखर जाऊँगा, मैं समझता हूँ कि मैं और निखर जाऊँगा।।''

एस.के.गर्ग
वरि. प्रबंधक (विद्युत)
भा.वि.प्रा., जम्मू एयरपोर्ट

पूर्णता

आदर्णीय पाठकों,

आपके समक्ष प्रस्तुत है संस्थान की हिन्दी पत्रिका। अपने विचारों एवं अनुभवों को व्यक्त करने के इस माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग को पूर्णता का अनुभव हो रहा है। इसी कारणवश मैंने पूर्णता पर लिखने का निश्चय किया। पूर्णता । भराव । अखण्डता। इत्यादि ...

पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।

इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि जो पूर्ण है उसमें से यदि पूर्ण को अलग कर दिया जाए तो भी पूर्णता ही शेष रहती है। यद्यपि इस श्लोक का उद्गम् आध्यात्मिक साहित्य से होने से यह निश्चित है कि ये बात ईश्वर के लिए ही कही गयी है, तथापि पूर्णता ईश्वरीयता की पर्याय समझी जा सकती है। अब तक जितना भी साहित्य पढ़ पायी हूँ, हर योगी, हर अनुसंधान में लिप्त विद्यार्थी की अन्तिम चाहत पूर्णता ही होती है। आखिर ये पूर्णता है क्या?

साधारणतः जब भी हम एक पूर्ण व्यक्तित्व की बात करते हैं, हमारी आंखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा आता है जो पढ़ाई में अच्छा हो, संस्कारी हो, गुणवान हो और वाक्चातुर्य से अलंकृत हो। तो प्रश्न उठता है कि क्या यही परिभाषा है पूर्णता की ?

सभी आकर्षक भागों को एक साथ रख देने से एक पूर्ण चित्र नहीं बनता। एक पूर्ण चित्र में सारे अच्छे, बुरे, हल्के, गहरे, प्रिय, अप्रिय रंगों का इस्तेमाल होता है। इसका तात्पर्य ये है कि पूर्ण व्यक्तित्व जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, हर व्यक्ति हर वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है। उदाहरणर्थ- एक चित्रकार कई चित्रों को बनाता है, उसका हर चित्र एक दूसरे से अलग होता है। कुछ आकर्षक, कुछ कम आकर्षक और कोई एक उसकी अनुपम कृति होती है। पर उसका कोई भी चित्र अन्य चित्रों पर अपनी पूर्णता के लिए निर्भर नहीं करता। कोई भी चित्र दूसरे चित्रों से रंग उधार मांगता नज़र नहीं आता। हर चित्र स्वतंत्र है। पूर्ण है।

इसी प्रकार प्रकृति ने हर व्यक्ति विशेष को स्वयं में पूर्ण बनाया है। कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी संसाधन पर अपने को पूर्ण करने के लिए आश्रित नहीं है। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि हर व्यक्ति अपने आपको समाज से अलग-थलग करके लोगों से बातचीत बंद कर दे। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हर व्यक्ति अपने अंतस की आवाज़ से प्रेरित हो। अपने सपनों की राह पर चले, न कि किसी की होड़ करके। हर व्यक्ति में कुछ विशेषता होती है जो केवल उसी के पास होती है।

एक और उदाहरण के साथ इसे प्रस्तुत करूंगी- एक वाटिका में विभिन्न फूल होते हैं। गुलाब अपनी तरह खिलता है और गेंदा अपनी तरह। फिर वाटिका का अहम् भाग घांस से घिरा होता है जो अपनी तरह पल्लवित होती है। यदि गेंदा गुलाब की तरह बनना चाहे और घांस गेंदे के फूलों से होड़ करे तो फिर बाग की सारी शोभा ही क्या रह जाएगी। इतना ही नहीं, अपने से कुछ और होने की होड़ हर फूल की अपनी गरिमा खत्म कर देगी।

अब इन दो समीकरणो को मिला कर देखें। पहली- पूर्णता ईश्वरता की पहचान है और दूसरी-हर व्यक्ति पूर्ण है।
श्रापित है वो लोग जो अपने आपको ईश्वर बताकर धर्म के नाम पर लोगों के ज़ज्बातों और धन के साथ खेलते हैं और दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। खिलना फूल का धर्म है, भौंकना कुत्ते का, नाचना मोर का और चहचहाना चिड़ियों का। इन्हें ये सीख किसी धर्म के ठेकेदारों से नहीं लेनी पड़ती। वो धर्म प्राकृतिक है, सहज है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने आप से कुछ और देखने की होड़ ही भटकाव है और अपने अस्तित्व की स्वीकृति ही पूर्णता .....

अर्पिता सक्सेना
एस.आर.एफ़
कैंसर भेषज्य विज्ञान विभाग,
भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू

समर्पण

अगर तुम बजाओ,
बनूँ साज मैं भी,
अगर आज गाओ,
बनूँ राग मैं भी ।

बरसते रहो तुम, यूँ ही मेघ बनकर ।
तुम चातक बनो, मैं रहूँ स्वाति बनकर।
अभी तो घटा में, छुपी चाँदनी है ।
अभी तो हवा में, बसी रागनी है ।

अगर तुम पिलाओ,
बनूँ प्यास मैं भी,
रहूँ धड़कनों में,
बनूँ साँस मैं भी ।

अस्तित्व मेरा, मचलने लगा है,
यह अब दायरे से, निकलने लगा है,
गले चाँद के, चाँदनी मिल रही है,
भँवर गुनगुनाएँ, कली खिल रही है।

अगर तुम जलाओ,
बनूँ दीप मैं भी,
जो मोती बनो तुम,
बनूँ सीप मैं भी ।

कहीं कुछ तो टूटा, हुआ कोई घायल,
छुपा चाँद बदली में, हो करके बेकल,
ये किसने समेटा, ये किसने संजोया,
मधुर राग छेड़ा बजी किसकी पायल।

अगर गुनगुनाओ
रचूँ गीत मैं भी,
अगर मुस्कराओ,
बनूँ मीत मैं भी ।

हमारी कहानी, तुम्हारी कहानी,
नहीं आज की है, यह सदियों पुरानी,
हम आते रहे हैं, हम आते रहेंगे,
यह जन्मों (सदियों) के बंधन, निभाते रहेंगे।

करो तुम प्रतिज्ञा,
शपथ ले लूँ मैं भी,
करो तुम समर्पण,
समर्पित हूँ मैं भी ।

बिमला गुप्ता
वरिष्ठ लेखा परीक्षक
कार्यालय महालेखाकार,
(जम्मू व कश्मीर), जम्मू

कोई तारा हो जाऊं

बहुत जी चाहता है कोई तारा मैं हो जाऊं,
दूर आसमान पे कर लूँ बसेरा अपना,
जागूं सारी रात और बस टिमटिमाऊं,
दूं खामोश गवाही कभी किसी के प्यार की,
या दादी नानी की कहानी का हिस्सा हो जाऊं,
मासूम कोई बच्ची करे उंगली से इशारा मुझे जब,
तो बन के बेहिसाब चमक उसकी आंखों में उतर आऊं,
इंसान होकर तो टूटने से कोई फ़ायदा नहीं दिखता,
कोई मामूली तारा हो के भी जो फ़लक से गिर जाऊं,
तो न जाने कब कहां किस दिल में गहरे दबी,
बरसों पुरानी अधूरी ख़्वाहिश को पूरा कर जाऊं,
जी चाहता है बहुत काश कोई तारा मैं हो जाऊं ।

कु.आशा पटेल
प्रशिक्षक
कैंसर भेषज्यविज्ञान विभाग,
भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू

'जीवन'

जीवन में दुख आने पर
अक्सर घबरा जाता हैं इंसान
क्यों आते हैं दुख जीवन में
सोच कर होता हैं उदास
शायद नहीं जानता इंसान
कि दुख जीवन की पूँजी हैं
जिन्हें सहज कर जीता हैं इंसान
दुख ही जीवन का सही अर्थ बताता है
दुख ही सुख को परिभाषित करता है
दुख की आग में तप कर ही
खरा सोना बनता है इंसान
किसी ने सच कहा है
"दुख सबको मांझता है"।

शशिभूषण
वैज्ञानिक-सी
भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू

कविता

एक दिन गरीबदास ने मुझे बुलाया,
अपने चारों लड़कों से मेरा परिचय करवाया,
यह है मेरा पहला लड़का हर्षदास,
रहता है सदा उदास।
एम.बी.बी.एस. पास है फिर भी यह उदास है,

यह मेरा दूसरा लड़का वकील है,
ठोकता सभी के माथे पर कील है,
अच्छों-अच्छों के दिमाग ठीक करता है,

यह मेरा तीसरा लड़का इंजीनियर है,
दिन भर मशीनों के पुर्जे इधर-उधर करता रहता है।

यह मेरा चौथा लड़का है,
इसका दिमाग हद से ज्यादा हाई है,
पढ़-लिख नहीं पाया इसलिए नाई है,
अच्छों-अच्छों के हजाम बनाता है ।

मैंने कहा-इसे निकालिए, अपने घर की रेपोटेशन सभाँलिए,
तब वे बोले - निकाल तो दूँ, बड़ा काम आ रहा है।
बाकी सब बेरोजगार हैं, ये घर की रोजी-रोटी चला रहा है।।

सुधीर कुमार
कर-सहायक
आयकर भवन, जम्मू

मां

ये किस्सा है,
एक नन्ही कली का,
जो थी बहुत कोमल। बहुत खूबसूरत,
एक अनोखी सी बात थी उसमें।

उसकी ऊर्जा, ताजगी और रंग,
सबमें कुछ खास था ।
पर वो नहीं थी संतुष्ट अपनी नियति से।
क्यो?

उसे तो धुन लगी थी- अपना अस्तित्व तलाशने की।
बनाने वाले ने उसे एक कली बना दिया,
रूप से नवाज़ा, पर कांटो पर बिठा दिया,
वो भी बिना उसकी इजाज़त के ....

फिर उस पर यौवन आया,
खिलके उसने चमन महकाया,
और फ़िजाओं ने उससे खुशबू ले ली उधार
फिर से, बिना उसकी इजाज़त के ....

तेज हवाओं और आंधियों ने उसका बदन छीला,
भंवरों और शहद की मक्खियों ने भी,
बिना उसके मैले होने की चिंता किए,
उस पर बैठ-बैठ, उसकी माधुरी का रसपान किया,

और ये सब भी, बिना उसकी इजाज़त के ....
और फिर से एक बार,
बिना उसकी इजाज़त के,
उससे वक्त ने छीन लिया,

उसका जीवन!
झड़ते हुए उसका बस यही सवाल था-
''आखिर मेरा अस्तित्व क्या था?''
तभी, उसके पराग से जन्मा,

एक नन्हा पौधा बोला -
''मां, तुम्हारा अस्तित्व था नहीं, है।
और रहेगा।
आज मैं हूँ, कल कोई और आपकी दास्तां कहेगा।''

अर्पिता सक्सेना (एस आर एफ)
कैंसर भेषज्य विज्ञान विभाग,
भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू

वर्तमान परिदृश्य में राजभाषा हिन्दी की स्थिति

ऐतिहासिक कारणों से आजादी के बाद हमारे देश को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, राजभाषा की समस्या भी उनमें से एक है। इस समस्या के सर्वसम्मत समाधान के लिए भारत सरकार ने अपनी राजभाषा नीति तैयार की। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है- शासन एवं प्रशासन की भाषा। जो भाषा सरकारी कामकाज के लिए संविधान द्वारा स्वीकृत की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए? पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी भारत संघ की राजभाषा होगी। संविधान के भाग 17 के अध्याय-1 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, ''संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।'' राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। भारत के संविधान में हिन्दी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किन्तु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केन्द्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिन्दी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती ।

प्रारम्भ में संविधान लागू होते समय सन् 1950 में यह समय सीमा 15 वर्ष के लिए थी अर्थात् अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए सन् 1965 तक ही हो सकता था, किन्तु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि संविधान द्वारा हिन्दी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केन्द्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है और वह अभी तक अपना वर्चस्व बनाए हुए है। केन्द्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अनेक राज्यों की राजभाषा के रूप में भी हिन्दी का प्रयोग स्वीकृत है।

जिन राज्यों की राजभाषा हिन्दी स्वीकृत है वे हैं- उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। यथा- पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बंगला, आन्ध्र प्रदेश की राजभाषा तेलगु, तमिलनाडु की राजभाषा तमिल तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। इन प्रान्तों में भी सरकारी कामकाज प्रान्तीय भाषा में होने के साथ-साथ अंग्रेजी में हो रहा है।

निष्कर्ष यह है कि अंग्रेजी संविधान द्वारा भले ही किसी राज्य की राजभाषा स्वीकृत न की गई हो, किन्तु व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग एक बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी वर्ग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए किया जा रहा है। सामान्यतः सरकारी कामकाज की भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। आज व्यवहारिक दृष्टि से देश के अधिकांश कार्यालयों में सरकारी कामकाज अंग्रेजी में अधिक होता है। अतः हिन्दी भले ही संविधान में घोषित भारत की राजभाषा हो, किन्तु व्यवहारिक रूप में यह गौरव अंग्रेजी को ही प्राप्त है।

राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति:- संविधान में राजभाषा सम्बन्धी प्रावधान भाग 17 के अध्याय-1 के अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 345, 346, 347 में प्रादेशिक भाषाओं सम्बन्धी प्रावधान है।

अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और विधानमण्डलों में प्रस्तुत विधेयकों की भाषा के सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

अनुच्छेद 349 में भाषा से सम्बन्धित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है।

अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, साथ ही यह भी बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी अनुच्छेद में भाषायी अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा-निर्देश भी दिए गए है।

अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख है जिनका निर्वहन हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु उसे करना है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने अधिसूचना संख्या 59/2/54 दिनांक 3/12/55 के द्वारा सरकारी प्रयोजनों के हेतु हिन्दी भाषा का आदेश 1955 में जारी किया गया, जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का प्रयोग निम्नलिखित कार्यो हेतु किया जा सकता है:-

1. जनता के साथ पत्र-व्यवहार के लिए ।

2. प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी संकल्प, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए।
3. हिन्दी भाषी राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार के लिए ।
4. अन्य देश की सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र-व्यवहार के लिए ।
5. संधियों और करारों के लिए ।

स्पष्ट है कि संविधान में हिन्दी को यह स्थान दिया गया है कि जो किसी राजभाषा को मिलना चाहिए, किन्तु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी है। परिणामत: अंग्रेजी-भक्त अधिकारी हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग निरन्तर कर रहे हैं। जिससे हिन्दी को राजभाषा का दर्जा व्यवहारिक रूप में नहीं मिल सका है।

राजभाषा हिन्दी की समस्याएं:- संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, किन्तु राजनीतिक दबावों के कारण अंग्रेजी को भी हिन्दी के स्थान पर पहले 1965 तक प्रयोग करने की छूट दी गई। बाद में इसे और आगे बढ़ा दिया गया। इसी छूट के कारण हिन्दी अभी तक सरकारी कामकाज की भाषा नहीं बन पाई और अंग्रेजी अपना वर्चस्व सरकारी कामकाज पर बनाए हुए है। वर्तमान समय में आर्थिक सुधारों के चलते वैश्वीकरण की जो भावना विकसित हुई है उसने अंग्रेजी में पुन: प्राण संचार कर दिए हैं। अब लोगों को यह लगने लगा है कि ''कैरियर'' बनाने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। अंग्रेजी बोलने वालों को नौकरी जल्दी एवं आसानी से मिल जाती है। इससे भी अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है।

हिन्दी पूर्णतः राजभाषा नहीं बन सकी है, इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नवत् हैं:–

(1) अधिकांश सरकारी अधिकारी अंग्रेजी के पक्के भक्त हैं। वे अंग्रेजी के ही माध्यम से चयनित होकर राजकीय सेवा में आए हैं। इस कारण से हिन्दी का प्रयोग करने के प्रस्ताव फाइलों में दबे रह जाते हैं।

(2) सुप्रीमकोर्ट ही नहीं, हाईकोर्ट और अधिकांश जिला कोर्ट भी अपना काम अंग्रेजी में करते हैं, इसलिए वकीलों, न्यायाधीशों आदि को अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है।

(3) विदेशों से सम्पर्क का माध्यम अंग्रेजी है। विदेश जाने के इच्छुक लोग अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान करने के लिए पूर्ण रूप से अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं और उसी के चिन्तन में लगे रहते हैं और हिन्दी का व्यवहार भूलकर भी नहीं करते।

(4) हिन्दी की वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। इसलिए टाइपराइटर, कम्प्यूटर और छापेखाने का काम हिन्दी में उतनी शीघ्रता से नहीं होता, जितनी शीघ्रता से अंग्रेजी माध्यम में होता है।

(5) अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है और अंग्रेजों ने बहुत समय तक इस देश पर शासन किया है, इसलिए अंग्रेजी का व्यवहार करना लोग उच्चता एवं गौरव का प्रतीक समझते हैं।

समस्या समाधान के उपाय:– ये समस्याएं हिन्दी के राजभाषा बनने के मार्ग में बाधा बनी है। इनका समाधान निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जा सकता है:-

(1) स्वाभिमान की भावना को आगृत करके ही अंग्रेजी के व्यवहार को उच्चता का साधन और हिन्दी के व्यवहार को हीनता समझना दूर किया जा सकता है।

(2) अंग्रेजी भक्त सरकारी अधिकारी धीरे-धीरे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यदि नए आने वाले अधिकारी अंग्रेजी भक्त न बन पावें तो हिन्दी राजभाषा का दर्जा व्यवहारिक तौर पर प्राप्त कर सकती है।

(3) देशभक्ति, राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का भाव शासन नहीं जगा सकता। यह काम हिन्दी भक्तों को ही करना पड़ेगा।

(4) टाइपराइटर, कम्प्यूटर एवं छापेखाने में सुधार करके इनमे कार्य हिन्दी के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम के समान तीव्र गति से किया जा सकता है।

(5) आई.ए.एस., आई.पी.एस. में अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम अपनाया जाने लगा है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालय कुछ कार्य हिन्दी में करने लगे हैं।

जब तक लोगों में स्वाभिमान, देश-प्रेम, आत्मिक चेतना एवं अस्मिता की भावना जाग्रत नहीं होगी तब तक वे अंग्रेजी का प्रयोग करने में गौरव का अनुभव करते रहेंगे। जैसे हमें अपने देश की संस्कृति से प्रेम होता है वैसे ही हमें अपनी भाषा से भी प्रेम करना चाहिए तभी हम अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग कर सकेंगे।

डॉ. रामेश्वर लाल मीणा,
हिन्दी प्राध्यापक,
हिन्दी शिक्षण योजना, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, जम्मू

कविता

अर्जून का गांडीव मौन है।
चीरहरण होता है होता रहता है,
सब सहते हैं सब कहते हैं फिर भी कहता कौन है।।
कहाँ भीष्म हैं कहाँ पितामह धर्मराज का धर्म कहाँ है।
शंशय है संवाद नहीं धर्म युद्ध संग्राम कहाँ है।।
कैसा खेल कैसी क्रीडा है।
खेलता पति हारती पत्नी है,
इस खेल की यही पीड़ा है।।
शिखंडी की आड़ में लड़ते हैं।
फिर भी धर्मयुद्ध कहते हैं।।
समाज की जननी को दांव पर लगा डाला।
जिस कोंख में पला उसी का सौदा कर डाला।।
अरे मेरी पत्नी है तो क्या हुआ, समाज की भी कुछ लगती है,
दुसासन है तो कृष्ण भी आयेगा।
चीरहरण से द्रोपदी को बचायेगा।।
आज का अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी यही सोचते हैं।
पश्चाताप नहीं करते, पर रोते हैं, एक दूसरे के आँसू पोंछते हैं।।
सोचते हैं महाभारत होने दो, गांडीव 'मैं' उठाऊँगा।
संघार कर शत्रुओं के, धर्म को बचाऊँगा।।
पर कृष्ण मुझे चाहिये, शिखंडी भी चाहिये।
धर्म की परिभाषा में परिवर्तन भी चाहिये।।
अरे। गांधारी भी एक नारी थी।
आँखों से अंधी नहीं, व्यथा से, व्यथित थी, इसलिये अंधियारी थी।।
मूंद लो आँखें, बांध लो पट, जब कभी हो अन्याय या व्यभिचार।
ना शर्मिदा हो और ना हो लाचार।।
मेरी कविता के ये पृष्ठ, कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट।
मुझे भूल जाओ पर मानवीय संवेदनाओं को पहचानों।
तुम स्त्री हो या पुरूष अपने आपको पहचानो।।
क्षमताएं असीम हैं, पुरूषार्थ फिर भी मौन है।
कैसा तांडव फैला है, फिर भी बोलता कौन हैं।।
गांडीव लिये अर्जुन खड़ा है, फिर भी मौन का मौन है।

डॉ. टी.पी.एस.चौहान
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, मीरा साहिब, जम्मू

"सुकृति के सद् पुष्प सजाऐं"

माँ भारती के सिंगार में, सुकृति के सद्पुष्प सजाएं।
आओ मिलकर इस धारा पर, सद्शिव सुन्दर ज्योति जगाएं।
मिट जाएं कालुष्य कलह के, नैथ्तक को आओ बल दें,
अत्याचारी दुष्टजनों के, सु:स्वप्नों को आओ दल दें।
पाये सत्य प्रतिष्ठा ऐसी, शंखनाद कर कदम बढ़ाएं,
कांप उठे सब पाप पुंज, कुछ ऐसा नव पुरूषार्थ जगाएं।
सिद्धान्त सत्य कर्त्तव्य सत्य, फिर क्यों डरना फिर क्यों दबना।
क्यों कायर होकर बैठे हो, क्यों स्वत्व खोते हो अपना।
जो समझौता करे पाप से, तो पाता पाप ही प्रोत्साहन,
पाप पौध को यदि उखाड़ दें, तो फिर होगा सत् शिवसर्जन।
वे कायर के शिथिल मनुज तो सत निश्चय को हार चुके,
स्वार्थ हेतु सिद्धान्त बेचते, वे जीवित शव हो चुके ।।
दुलमुल बुद्धि वाले कायर, कब श्रेष्ठ कुछ कर पाये हैं,
मां का दूध लगाने वाले, वे किसके कब काम आये हैं।
दृढ़ निश्चयी और मनस्वी, सिद्धान्तों पर मर मिटते हैं,
जो कहते कर दिखलाते वे, कर्त्तव्य समर में आ डटते हैं।
आओ ऐसा मन बन जाये, अपना भी श्रेष्ठतम जगाएं,
दृढ़ निश्चय के साथ धरा पर, एक नया उत्साह जगाएं।
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित की, सुधामयी नव धार बहादें,
महावीर राम कृष्ण के, सपनों का संसार बना दें।
मां भारती का वैभव फिर, मंगलमय हो अभ्यंकर हो,
मिले अधर्मो से मुक्ति तो, राष्ट्र स्वर्ग से भी बढ़कर हो।।

विक्रम सिंह परेवा
स्नातकोत्तर शिक्षक
कंप्यूटर विज्ञान
केन्द्रीय विद्यालय नगरोटा, जम्मू

सबसे ज्यादा पश्चाताप करने वाला ज्ञानी होगा, सबसे ज्यादा दु:खी ज्ञानी होगा, स्वनिन्दा करने वाला ज्ञानी होगा क्योंकि यह मेरी अज्ञानता थी जो दूसरों की निन्दा कर रहा था। - निर्दोशी

जिजीविषा

एक बूंद समाई गर्भ में,
मां बनने का एहसास हुआ
सोचा गूंजेगी किलकारी घर में
खुशियों का त्यौहार हुआ
मातम सा छाया तब घर में,
जब पता चला कि कन्या है
दादी बोली नहीं चाहिए हमें कन्या,
पिता की नहीं तमन्ना है।

सिर्फ लिंग जानकर दुखी हुए
क्या इतनी बदकिश्मत हूँ मैं?
जिस नारी वंश से जन्म लिया पिता तुमने
उसी वंश की फुलवारी हूँ मैं।
मां क्या तुम भी यही चाहती हो
मैं मर जाऊँ इस जग में आने से पहले,
क्या अपने दिल के टुकड़े को
कर दोगी यमराज के हवाले?
मारेंगे मुझे वे तिल-तिल करके
मेरा अंग-अंग वे काटेंगे।
मैं रोऊँ भी तो रोऊँ कैसे
मेरे मुंह से आवाज तक नहीं आती है।

ये पाप नहीं महापाप है
मत बनो इसके भागी तुम
मैं भगत सिंह, चन्द्रशेखर, आजाद
जैसे बेटे जन सकती हूँ
मैं कल्पना, सानिया और मदर टेरेसा बनकर
आपका नाम रोशन कर सकती हूँ
मैं कर सकती हूँ वो सब
जो पुरूष आज का कर सकता है
शिक्षा, खेल, विज्ञान, डॉक्टरी,
सेना और पुलिस में भी नारी का सिक्का चलता है
जल, थल की तो बात ही क्या
अंतरिक्ष में भी कदमताल कर सकती हूँ।
फिर दहेज खर्च से डरकर तुम
मुझे मारना चाहते हो
बेटे की चाहत की खातिर
बेटी की बलि चढाती हो।
मत मारो पिता जन्म से पहले ही
मुझे ईस जग में आ जाने दो,
जब मैं इस जग में आऊँगी
रिश्तों की नयी बहार लाऊँगी
बेटी, बहन, बुआ, पत्नी, मां
और भाभी, चाची, मामी, दादी, नानी बनकर
इस संसार को नई राह दिखलाऊँगी।

मैं कली तुम्हारी बगिया की
मुझे इस बगिया में आ जाने दो
मुझे फूल बनकर खिल जाने दो
मुझे अपने आप महकने दो
मुझे इस धरती पर आ जाने दो
हे मात-पिता बचालो प्राण मेरे
मुझे इस जग में आ जाने दो।

मंजू पत्नी श्री रामेश्वर दयाल
एस.बी.आई.आफिसर्स फ्लैट्स
बनतालाब, जम्मू

भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, जम्मू

'एकदृष्टि'

जम्मू-कश्मीर राज्य में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 01 जुलाई, 1979 को क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीनगर के रूप में हुई। राज्य की पहली शाखा, हरि मार्किट, जम्मू में खोली गई। आज राज्य में कश्मीर घाटी सहित भारतीय स्टेट बैंक की 140 से अधिक शाखाएं हैं और इस संख्या से आगे भी शाखाओं का खुलना जारी है। राज्य के विकास में भारतीय स्टेट बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सात जिला मार्गदर्शी बैंक कार्यालय हैं जो राज्य के जिलों में भारत सरकार की विकास योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और राज्य के विकास में अपना योगदान देते हैं। राज्य में बैंक की शाखाओं का शहरों से लेकर दूर-दराज़ गावों तक व्यापक विस्तार है।

प्रशासन की दृष्टि से बैंक की सभी शाखाओं को तीन क्षेत्रीय कार्यालयों के नियंत्रण में रखा गया है। जिनका नियंत्रण सहायक महाप्रबन्धक स्तर का अधिकारी होता है जिसे क्षेत्रीय प्रबन्धक कहते हैं। बैंक की समस्त शाखाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एवं राज्य सरकार के साथ समन्वय का कार्य क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा किया जाता है जो कि उप महाप्रबन्धक स्तर का पदाधिकारी होता है।

आज राज्य में बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की अग्रणी भूमिका है। व्यवसाय की दृष्टि से बैंक राज्य की जनता को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग के साथ 113 ए टी एम का विशाल नेटवर्क उपलब्ध करा रहा है। राज्य के बेरोजगार लोगों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राज्य के दो शहरों, जम्मू और उधमपुर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोलकर एक नयी पहल की है जिसमें बैंक द्वारा राज्य के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त बैंक के जिला मार्गदर्शी बैंक कार्यालयों द्वारा भी जनता को बैंक से ऋण लेने से लेकर अपना रोजगार लगाने तक का प्रशिक्षण एवं अनुवर्ती कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

भारतीय स्टेट बैंक राज्य की जनता के आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास में भी वित्तीय सहायता के रूप में हाथ बटाता है। बैंक द्वारा राज्य भर में स्थापित स्कूलों, हस्पतालों, वृद्धआश्रमों, अनाथ आश्रमों, बाल सुधार गृहों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं को अनेक प्रकार से सहायता करता है। बैंक द्वारा गांव के सम्पूर्ण विकास के लिए गांव भी गोद लिया गया है। बालिकाओं को शिक्षा के लिए बालिका गोद कार्यक्रम चलाया गया है। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक राज्य की जनता के विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान कर रहा है।

भाषा की दृष्टि से जम्मू-कश्मीर राज्य मुख्यत: उर्दु, कश्मीरी, डोगरी, गोज़री एवं लद्दाखी भाषी राज्य है। भाषायी दृष्टि से यह एक सम्पन्न एवं विविधतापूर्ण राज्य है। बैंकिंग का कार्य केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी मे करना होता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार बैंक में हिन्दी में कार्य अन्य बैंकों की तुलना में प्रगति पर है। चूंकि जम्मू-कश्मीर बहु-भाषी राज्य है। यहां की जनता की मातृभाषा हिन्दी नहीं होने से यहां बैंक कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण पर जोर दिया जाता है। बैंक के अधिकांश कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान है। जिन्हें हिन्दी भाषा का ज्ञान नहीं है उन्हें भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। बैंक में कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कार्यालय के मुख्य द्वार पर बोर्ड लगाकर उस पर आज का शब्द लिखा जाता है। सप्ताह का विचार हिन्दी में लगाया जाता है। हिन्दी में अच्छा कार्य करने पर हमारे प्रशासनिक कार्यालय को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की ओर से लगातार पिछले दो वर्षो की राजभाषा शील्ड भी प्राप्त हुई है।

रामेश्वर दयाल
उपप्रबन्धक (राजभाषा),
भारतीय स्टेट बैंक (प्रशासनिक कार्यालय), जम्मू

यह मेरे सफेद बाल

हम भी कभी अपने सर पर रंग लगाते थे।
कभी भूरा तो कभी काला अपने बालों को बनवाते थे।।
फिर एक दिन सोचा कि छोड़ो यह पाखंड।
जैसे है वैसे ही रह कर लेते हैं आनंद।।
लेकिन ऐसा करते ही मेरे साथ कुछ ऐसी बीती।
सोचता रहा बहुत मैं कि ऐसी गलती क्यों की।।
जब से दिखे उनको यह मेरे सफेद बाल।
बिलकुल ही बदल गये हैं तबसे उनके हाल।।
पहले तो नजरें मिलते ही मुस्कराते थे।
बातें इधर-उधर की कर के अपना और मेरा दिल बहलाते थे।।
जब से यह असलियत उनको नजर आयी है।
मेरी तो जैसे जान ही पर बन आयी है।।
सर की चांदी देखकर बोले अरे यह क्या गजब हो गया।
वह जो जवान छोकरा था वो अचानक किधर खो गया।।
यह सुनकर तो जैसे मेरे पांव से जमीन निकल गयी।
मैं समझ गया कि यह तो बातों बातों में बुद्ढा कह गयी।।
फिर सोचा सारी दुनिया कहेगी फिर क्या हुआ, यह कह गई।
उसे जो लगा उसने कहा कौन सी बड़ी बात कह गयी।।
यह तो केवल शुरुआत थी आगे तो हालत और पतली होने लगी।
अब प्रेम प्रलाप के स्थान पर मुक्ति और मोक्ष की बात होने लगी।।
पहले जो छुट्टियों में घुमने फिरने जाते थे।
खाना पीना, पीना खाना, खूब मजे उडाते थे।।
अब सुनाते हैं अगली छुट्टी में चार धाम को जायेंगे।
तीर्थ यात्रा कर के करते ध्यान तनिक लगायेंगे।।
हमने कहा हे भगवान यह क्या बातें करती हो।
गृहस्थ आश्रम के समय में क्यों तुम वानप्रस्थ को मरती हो।।
शास्त्रों में तो पचास के उपरांत ही सन्यास लेने को लिखा है।
चालीसों में ही सब छोड दो यह तुमने कहां से सीखा है।
यह तो घर की बात थी बाहर भी हालत बदल गयी।
अपने दोस्तों की जो टोली थी उनकी भी नजर पलट गयी।।
बोले, सुनो भाई अब तो बिरले ही तुम्हे बुलायेंगे।
जब किसी बुजुर्ग की जरुरत होगी तभी निमंत्रण भिजवायेंगे।।
यह तो स्वार्थी मित्र थे उनकी बीवियां भी बिगड गयीं।
पहले तो भैया कहती थीं अब नमस्ते अंकल कह कर निकल गयीं।।
ऐसा नहीं कि इस अवस्था के केवल हुए दुश्परिणाम।
अब तो मुझसे कहीं बड़े भी करने लगे हैं प्रणाम।।
मेरे इन सफेद बालों ने ऐसा गुल खिलाया।
किसी योग्य न होने पर भी बड़ा है मुझे बनाया।।

सुनील खजुरिया
सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जम्मू

गज़ल

अब के मौसम में जब फूल महक जाएंगे
पुराने ज़ख्म मेरे फिर से कसक जाएंगे।
कुछ इन्हें काम नहीं आदमी के मज़हब से
ये परिंदे हैं हरेक घर में चहक जाएंगे।

कोई मंदिर, कोई मस्जिद यहां बने न बने,
इनके नाम पे घर बस्ती के दहक जाएंगे।
इन बच्चों को रखो दूर तुम सियासत से
कच्ची ही उम्र में वरना ये भटक जाएंगे।
आप रफ़्तार को अपनी ज़रा सा कम कर लें
राह समतल नहीं है कदम बहक जाएंगे ।
बहुत संभाल कर इनको निभाइएगा वरना
ये रिश्ते कांच से नाजुक हैं चटक जाएंगे।

इन्हें सहेज वहुत दिल के पास भी रक्खें
ख्वाब पर फिर भी मुट्ठी से खिसक जाएंगे।
हद तसव्वुर की इस बार आजमा देखें
जहां वो तारे उगे हैं वहां तक जाएंगे।

रवि गुप्ता
सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन)
भारतीय स्टेट बैंक,
प्रशासनिक कार्यालय, जम्मू

मुख्य महाप्रबंधक, भा.सं.नि.लि., जम्मू व कश्मीर परिमंडल जम्मू की राजभाषा कार्यान्वयन रिपोर्ट

भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना अक्टुबर 2000 में हुई। इस से पूर्व इसे दूरसंचार विभाग के नाम से जाना जाता था। बीएसएनएल का जम्मू व कश्मीर दूरसंचार परिमंडल मुख्य महाप्रबंधक के अधीन है। इसमें पॉच एसएसए जम्मू, श्रीनगर, लेह, उधमपुर व राजौरी आते हैं जो जम्मू व कश्मीर की दूरसंचार सेवाओं के विकास एवं निर्माण के लिए उत्तरादायी है।

बीएसएनएल, जम्मू व कश्मीर परिमंडल में ग्रामीण और शहरी 367 एक्सचेंज, 231310 डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनें, 96363 डब्ल्यू एल एल, 882055 सेलुलर कनेक्शन, 10736 पीसीओ, 5961 वीपीटी, 840 आईएसडीएन, 35249 इन्टरनेट ब्राडबैड कनेक्शन और 944 बी टी एस हैं। कार्य का स्वरूप तकनीकी है जो विभिन्न पदो के अभियंताओं की देखरेख में सम्पन्न होता है।

जम्मू व कश्मीर दूरसंचार परिमंडल राजभाषा हिन्दी के प्रसार एवं विकास के लिए भी निरंतर कार्यरत है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया जाता है। उनका आवश्यक मार्गदर्शन किया जाता है। जिससे वे अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में कर सकें। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के पूर्ण प्रयास किए जाते हैं। वर्ष में किए गए कार्यो की संक्षिप्त रिपोर्ट इस प्रकार है:-

1.हिन्दी प्रशिक्षण:- राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत सभी स्टॉफ को प्रशिक्षण दिलाया गया है। स्थानान्तरण होकर आए अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान न होने पर प्रशिक्षण दिलाया गया है और नियमानुसार उन्हें एक वैयक्तिक वेतनवृद्धि तथा प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

2. हिन्दी पखवाड़ा आयोजन:- प्रतिवर्ष हिन्दी पखवाड़ा 1 सितम्बर से 15 सितम्बर तक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गत वर्ष पखवाड़ें के दौरान नौ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जिनमें स्टॉफ ने बड़े उत्साह से भाग लिया। प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई।

3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित किया जाता है। बैठकों के कार्यवृत्त वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जम्मू की छमाही बैठकों में भाग लिया जाता है।

5. कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा:- सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिससे स्टॉफ अपनी आवश्यकतानुसार हिन्दी-अंग्रेजी में कार्य करता है।

6. हिन्दी प्रगति की तिमाही रिपोर्ट:- हिन्दी प्रगति की तिमाही रिपोर्टे समीक्षा हेतु मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जम्मू व उपनिदेशक कार्यान्वयन कार्यालय गाजियाबाद के कार्यालयों को भेजी जाती है।

7. फार्म, फाइलों रजिस्टरों पर विषय, रबड़ की मोहरें एवं नामपट्ट आदि:- उपरोक्त सभी मदें द्विभाषी उपलब्ध कराई गई हैं। फाइलों रजिस्टरों पर द्विभाषी विषय लिखे जाते हैं।

8. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में:- हिन्दी में प्राप्तम पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है।

9. हिन्दी पुस्तकें समाचार पत्र:- हिन्दी समाचार पत्र अमर उजाला स्टॉफ के पढ़ने हेतु मंगाया जाता है। गत वर्ष लाइब्रेरी में 4200/- रूपये की पुस्तकें मंगाई गई। इसमें हिन्दी पुस्तकों पर 2200/- रूपये व्यय किए गए।

10. गृह पत्रिका का प्रकाशन:- द्विभाषी गृह पत्रिका चिनारवाणी के अभी तक 17वाँ अंक प्रकाशित किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ लेख/रचनाओं को पुरस्कृत किया जाता है। गृह पत्रिका की प्रतियां दूरसंचार विभाग के उच्चाधिकारियों, बीएसएनएल मुख्यालय, अन्य परिमंडलों, जम्मू व कश्मीर परिमंडल जम्मू के अधिकारियों व सभी कार्यालयों को भेजी जाती हैं।

11. विभागीय पदोन्नति परीक्षा पेपर:- विभागीय पदोन्नति परीक्षा पेपर द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं।

12. साईन बोर्ड व हिन्दी स्लोगनों का प्रदर्शन:- हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के शब्दों का ज्ञान स्टॉफ को प्राप्त हो, इसके लिए अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दों के हिन्दी पर्याय, साईन बोर्ड पर प्रत्येक सप्ताह लिखे जाते हैं। प्रत्येक अनुभाग में हिन्दी स्लोगन लगाए गए हैं।

13. कार्यशालाएं:- स्टॉफ में हिन्दी कार्य करने की झिझक को दूर करने के लिए तिमाही कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। जिनमें हिन्दी में काम करने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं।

14. निरीक्षण:- वर्ष में दो अधीनस्त कार्यालयों एवं 19 अनुभागों का निरीक्षण किया गया। राजभाषा नीति के कार्यो की समीक्षा की गई और कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

15. शब्दावली वितरण:- वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली सभी स्टॉफ में वितरित की गई। शब्दकोश सभी अधिकारियों को दिए गए।

16. लाभ व हानि विवरण हिन्दी में:- लाभ व हानि विवरण पहली बार हिन्दी में तैयार किया गया।

मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय संचार निगम लि., जम्मू

अंकों का परिचय

मानव जीवन में प्रत्येक वस्तु, भौतिक-अभौतिक, काल्पनिक-वास्तविक, तरल-ठोस, पानी, पृथ्वी, आकाश प्रत्येक का अपना महत्व है। सच माने तो सम्पूर्ण मानव जीवन अन्योन्यास्रित है। मानव के पैदा होने से मरने तक, यहां तक कि उसके क्रिया कर्म तक की सभी बातें अन्यों पर आश्रित हैं। वास्तव में देखा जाए तो मानव जीवन की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। अंकों का मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मानव के पैदा होने पर उसके पैदा होने की तिथि (देशी हो या अंग्रेजी) समय के घन्टे, मिनट और सैकेंड तक अंकों में निर्धारित होते हैं। मानव के पैदा होने के समय ही उसके भाग्य का अंक स्थिर हो जाता है। उसके जन्म से लेकर मरण तक के सभी संस्कार अंकों से निर्धारित एवं संचालित होते हैं। अंकों के लिखने की शैली अलग-अलग हो सकती है। जैसे एक के अंक को रोमन में (i), देशी रूप में (1) और अन्तर्राष्ट्रीय रूप में 1 लिखते हैं, परन्तु इसकी मूल भावना एक ही होती है अर्थात् एक का अर्थ एक ही होता है। कुछ लोग शून्य को बेकार मानते हैं। शून्य का कोई महत्व नहीं समझते हैं। परन्तु यह सत्य नहीं है, शून्य का अपना महत्व है। शून्य से ही किसी संख्या को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। जैसे एक के आगे 0 लगा दिया जाए तो एक का दस (10) बन जाता है और 10 के आगे एक शून्य और लगा दिया जाए तो वह सौ (100) बन जाता है और यदि 100 के आगे एक शून्य और लगा दिया जाए तो वह हजार (1000) बन जाता है। इस प्रकार आगे से आगे संख्या को बड़ा किया जा सकता है। परन्तु यदि इसी शून्य को किसी संख्या के पहले लगा दिया जाए तो वह संख्या छोटी बन जाती है जैसे कि यदि 10 के अंक में आगे लगे शून्य को हटाकर 1 से पहले लगा दे तो वह संख्या 10 से एक (01) बन जाती है।

पुराने समय से ही हमारे यहां अंकों पर अनेक प्रकार के मुहावरे और लोकोक्तियां भी प्रचलित हैं, जिनसे एक विशेष संदेश मिलता है या यों कहें कि इन्हें एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। कुछ एक उदाहरण यहां प्रस्तुत हैं जैसे एक और एक ग्यारह होते है- इसका अर्थ है एकता में शक्ति है अर्थात् एक से एक्र मिलकर शक्तिशाली बनता है, दूसरा देखिए न तीन में न तेरह में - इसका अर्थ है किसी का पक्षपात नहीं करना अर्थात निष्पक्ष रहना, तीन पांच करना- इसका अर्थ हुआ इधर-उधर की बातें करना और देखिए नो दो ग्यारह होना- इसका अर्थ हुआ भाग जाना अर्थात प्रयोग करके देखें तो पुलिस को देखते ही चोर नौ दो ग्यारह हो गया। आँखें चार होना- इसका अर्थ है गहरा प्यार होना, आजकल उनकी आँखें चार हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंकों का हमारे दैनिक जीवन में कितना प्रयोग होता है और उनका कितना महत्व है।

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पूर्वज अंक विद्या में पारंगत थे। हमारे देश में हिन्दु धर्म में माला जाप बहुत सदियों से चला आ रहा है। लोग माला जाप किया करते थे और अब भी करते हैं। मेरे ज्ञान के अनुसार अधिकांश लोग 108 मनकों की माला की जाप करते हैं। प्रश्न उठता है कि उससे कम या अधिक मनको की माला का जाप क्यों नहीं? इसके पीछे एक रहस्य छिपा है। मैंने कहीं पढ़ा है कि सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक के काल का परिणाम 60 घड़ी माना गया है। एक घड़ी में 60 पल और एक पल में 60 विपल होते हैं। इस प्रकार एक अहोरात्र में 60 × 60 × 60 = 2,1600 विपल हुए अर्थात दिन में 1,08,000 और रात्रि में 1,08,000 विपल हुए। दशमलव प्रणाली से शून्य अलग किए जाएं तो, रह गया 108, इस प्रकार सूर्य भी जब राशि परिभ्रमण में एक चक्र पूरा कर लेता है, तो वह एक वृत पूरा करता है। एक वृत में 360 अंश होते हैं। सूर्य की एक प्रदक्षिणा की कला बनाई जाए तो 360×60 21,600 कला हुई। सूर्य 6 माह उत्तरायण में और 6 माह दक्षिणायन में रहता है। इस प्रकार 21,600 को आधा किया जाए तो संख्या 10,800 होती है। इसलिए माला में 108 मनकों का विधान किया गया है। मनकों की संख्या के विषय में कुछ और भी उदाहरण हैं। जैसे 25 मनकों की माला का जाप करने से मोक्ष प्राप्त होता है, 30 मनकों की माला जपने से धन प्राप्ति होती है, 21 मनकों की माला जपने से सभी अर्थों की सिद्धी प्राप्त होती है, 54 मनकों की माला से सर्वकार्य सिद्धि होती है और 108 मनकों की माला का जाप करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं।

इतिहास की सभी घटनाएं भी अंकों में दर्ज हैं। विश्व के सभी रहस्य अंकों में छिपे पड़े हैं। अंकों के विषय में पाइथागोरस ने कहा है, ''सभी रचनाओं, स्वरूपों और विचारों का स्वामी अंक है और यही देवताओं और राक्षसों का जनक है''। अंकों की लीला बहुत ही विचित्र है। इनकी शुरुआत शून्य से होती है और शून्य पर ही समाप्त हो जाती है। कई बार घटनाएं इस क्रम से घटती हैं कि मानों किसी ने उन्हें नाप तोल कर निश्चित कर दिया हो। कई घटनाएं उसी तारीख को घटित होती हैं। हम यहां अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं। वहां पर 13 के अंक को महत्वपूर्ण माना जाता है। वहां के राष्ट्रध्वज में 13 धारियां हैं, 13 वाण हैं और ईगल के ऊपर 13 सितारे है। और झण्डे में भी 13 ही पत्तियां हैं। उसकी स्वतंत्रता के समय 13 ही राज्य थे और उनकी स्वतंत्रता के घोषणा-पत्र पर भी 13 ही व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। इसके विपरीत यहूदी लोग 13 के अंक को अशुभ मानते हैं। उनके अनुसार ईसा के बलिदान से पूर्व एक भोज हुआ था जिसमें 13 व्यक्ति थे। वे 13 के अंक से बचते हैं। वे अपनी धर्मशालाओं, होटल के कमरों आदि की संख्या 13 के

स्थान पर 12 ए रखते हैं। हिन्दु धर्म में भी अधिकांश लोग 13 के अंक को अशुभ मानते हैं। यहूदी लोग 7 के अंक को अधिक महत्व देते हैं। वे सात के अंक को बहुत शुभ मानते हैं। जबकि चीनी लोग 5 के अंक को अधिक महत्व देते हैं। जवाहर लाल नेहरू ने चाउ-एल-लाई के साथ मिलकर जिन पांच सिद्धान्तों की घोषणा की वे पंचशील कहलाए। इसके पीछे भी चीनियों की पांच के प्रति आदर की भावना मिलती है।

अंकों के महत्व को प्रकृति के माध्यम से भी समझा जा सकता है। एक के अंक का अपना महत्व है जैसे एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक आकाश, एक चन्द्रमा, एक वायु और जल। इनमें से एक के बिना भी हमारा जीवन असंभव है। अब हम 2 के अंक पर विचार करते हैं तो प्रकृति ने हमें दो हाथ, दो कान, दो नासिकाएं, आँखें दी हैं- इन सभी के अपने कार्य और सभी का अपना महत्व है और इनमें से एक के बिना भी हम अधूरा महसूस करते हैं। अब हम 3 के अंक को देखें- तीन गुण (सत्व, रज, तम), तीन देव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) और तीन लोक (पृथ्वी, आकाश, पाताल), तीन अग्नि (अज्ञानि, उदराग्नि, कामाग्नि) तीन काल (वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल) सभी हमें प्रभावित करते हैं। अब हम 4 के अंक पर दृष्टि डालें तो चार वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद), चार दिशाएं (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम), चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र), चार युग (सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग) सभी का अपना महत्व है। पांच के अंक को जाने तो पांच इन्द्रिय, पांच विषय, पांच पर्व, पांच प्राण, पांच अंगुलियां, पांच तत्व (पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि), आचरण के सिद्धान्त भी पांच हैं, दण्ड भी पांच प्रकार के ही है। अब हम 6 के अंक पर दृष्टि डालें तो छः रस, छः ऋतुएं हमारे जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। 7 के अंक को देखें तो सात दिन, सात ऋतु, सात छन्द, सात स्वर, विवाह के सात फेरे, अनेक धर्मों में सात स्वर्गों की कल्पना की गई, ईसाईयों के प्रमुख चर्च भी सात ही हैं, बाइबिल में सात ही फरिश्तों की बात कही गई है और डेविड से ईसा तक सात ही पीढ़ियां मानी गई हैं। इस प्रकार सात के अंक का अपना विशेष महत्व है। आठ के अंक को देखा जाए तो आठ सिद्धियां, जन्माष्ठी, दुर्गाष्टमी- सभी आठ के अंक के महत्व को दर्शाते हैं। इसी प्रकार 9 का अंक देखें तो नौ ग्रह, नौ निधि, नौ नन्द, नौ अंक और नौ गोत्र आदि प्रमुख है। शून्य का महत्व हम पहले ही बता चुके हैं।

उपर्युक्त बातों के दृष्टिगत यह सत्य है कि प्रत्येक अंक का अपना महत्व है किसी अंक का महत्व कम या ज्यादा नहीं है। सभी अकों का समान रूप से महत्व है। सभी अंक हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अंकों के बिना हमारी सभ्यता का सारा ढांचा ही चरमरा जाएगा। कोई भी अंक शुभ-अशुभ नहीं होता है। संसार की किसी भी वस्तु की वास्तविक पहचान अंकों के आधार पर ही होती है। चाहे वह तरल-ठोस पदार्थ हो या अन्य वस्तुएं या आपकी आयु का लेखा-जोखा, घर का नम्बर, फोन नम्बर, दूरिया, क्षेत्रफल या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके माप में अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता हो। अंकों का ज्ञान नहीं रहने से सारा संसार उसी प्रकार जड़ माना जाएगा जैसे बिना आत्मा के शरीर।

आपको ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्माण्ड और धरती का एक-एक कण अपना महत्व रखता है। उसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा है। उसका अपना स्थान है, स्थिति है, क्रम है और महत्व है। जैसे सप्ताह का प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन का प्रत्येक घन्टा, घन्टे के प्रत्येक मिनट, मिनट के प्रत्येक सैकेंड और प्रत्येक सैकेंड के प्रत्येक पल का कुछ न कुछ भाव है, अर्थ है और संख्या या नम्बर भी है। आपने सुना है, देखा है समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसका सीधा सम्बन्ध चन्द्रमा से होता है। इस विषय में इंगलैंड, फ्रांस और जर्मनी के अनेक वैज्ञानिकों का यह मत है कि पानी में ये तरंगें इसलिये उठती हैं कि पानी के नीचे की ठोस भूमि में जो लहरें हैं, वे चन्द्रमा के प्रति आकर्षित होती हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि जब चन्द्रमा का घेरा केवल 2,100 मील का है और उसका प्रभाव इस प्रकार हमें स्पष्ट रूप से अनुभव होता है, तो उन ग्रहों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता होगा जो चन्द्रमा से हजारों गुना बड़े आकार हैं।

एक बार रेल सफ़र के दौरान मेरी मुलाकात एक यात्री से हुई जो कि परिचय करते-करते अपनी बातों से मुझे प्रभावित करने लगे और मुझे मित्रवत लगने लगे। उनकी बातों से लगा कि वे ज्योतिष के जानकार हैं। ज्योतिष मेरा रूचिकर विषय भी है। इसके बारे में मै जितना जानता उतना कम लगता। मैने कई लोगों से सुना था कि रविवार को लाल वस्त्र, सोमवार श्वेत, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, वीरवार को पीला, शुक्रवार को नीला या आसमानी और शनिवार को काला वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने भोजन का आहार भी उसी अनुसार लेना चाहिए । परन्तु अब तक मुझे इन बातों के पुष्ट प्रमाण नहीं मिले थे और मैं इस अधूरे ज्ञान से असंतुष्ट था। इसलिये मैने उस मित्र से ज्योतिष के बारे में अपनी उत्सुक्ता बताई । उस ज्योतिषी मित्र ने मुझे ज्योतिष के बारे में बताना प्रारम्भ किया और वह अंकों के चमत्कार की बात करने लगा। उसने कहा कि अंक चमत्कारी होते हैं। उसने बताया कि हमारे जन्म के दिन से ही अंकों का खेल या जादू शुरु हो जाता है। इससे मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैने पूछा कि कैसे ? उसने मुझे बताया कि बच्चे के जन्म के समय से ही, जिस समय बच्चे का जन्म होता है, उस दिन का अंक, उस घड़ी का अंक, उस राशि का अंक, बच्चे के जन्म की दिशा का अंक और उससे प्रभावित रंग का अंक आदि-आदि कई प्रकार के अंकों का खेल शुरू हो जाता है। मेरी उत्सुकता और

बढ़ती गई । मैने पूछना जारी रखा, उसने बताना जारी रखा। उसके बताए अनुसार मैं यहां कुछ अंकों की जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सबसे पहले जानिए ग्रहों के अंक : सूर्य को 1 अंक, चन्द्र को 2 अंक, बृहस्पति को 3 अंक, बुध को 5 अंक, शुक्र को 6 अंक, शनि को 8 अंक, मंगल को 9 अंक, राहू को 4 व केतू को 7 का अंक दिया गया।

इसी प्रकार इन ग्रहों के रंगों के भी अंक : निर्धारित किए गए है जैसे : हरा रंग 5 अंक, पीला रंग 9 अंक, संतरी रंग 2 और 7 अंक, लाल रंग 1 और 4 अंक, आसमानी रंग 3 अंक, गाढ़ा नीला रंग 6 अंक ।

दिशाओं के रंग : पूर्व दिशा 1 अंक, पश्चिम दिशा 8 अंक, उत्तर दिशा 3 अंक, दक्षिण दिशा 9 अंक, दक्षिण-पूर्व 6, 7 अंक, दक्षिण - पश्चिम 4 अंक, पश्चिम दिशा 8 अंक, उत्तर-पूर्व 2 अंक, उत्तर-पश्चिम 5 अंक।

दिनों के अंक : रविवार 1 अंक, सोमवार 2 अंक, मंगलवार 9 अंक, बुद्धवार 5 अंक, बृहस्पतिवार 3 अंक, शुक्रवार 6 अंक और शनिवार को 8 अंक दिये गये हैं। (चार और सात का अंक किसी भी दिन को नहीं दिया गया है)

राशियों के स्वामियों के अंक : मेष 9 अंक, वृष 6 अंक, मिथून 5 अंक, कर्क 2, 7 अंक, सिंह 1, 4 अंक, कन्या-5 अंक, तुला-6 अंक, वृश्चिक-9 अंक, धनु 3 अंक, मकर 8 अंक, कुम्भ-8 अंक और मीन को-3 अंक दिये गये हैं।(नोट अंकों से पहले एक छोटा डैस लगा है वह वास्तव में माइनस का प्रतीक है)

इतना ही नहीं इन राशियों के अंकों में पुरुष और स्त्री अंक भी अलग-अलग बताए गये हैं

जैसे: पुरुष राशि के अंक है 1, 3, 5, 7, 9, 11 स्त्री राशि के अंक हैं 2, 4, 6, 7, 10, 12

इतना ही नहीं मेरे उस ज्योतिषी मित्र ने मुझे अक्षरों के अंक, राशियों के रंगों के अंक और अंकों के प्रकार भी बताए। मैं धीरे-धीरे अंकों के चक्र में उलझता जा रहा था। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी। पेड़, नदी, पर्वत सब पीछे छूटते जा रहे थे। मेरा दिमाग अंकों में उलझता जा रहा था। मित्र महोदय ने बताना जारी रखा कि अंकों के प्रकार के अन्तर्गत कुछ अंक क्रम से अंक जैसे 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 आदि, विषम अंक 1,3,5,7,9,11,13,15 आदि सम अंक जैसे 2,4,6,8,10,12,14 आदि इकहरे अंक, दोहरे अंक, तिहरे अंक आदि भी आते हैं। उसने बताया कि आपको राशि के अनुसार कपड़े धारण करने चाहिए। जैसे मेष राशि पीला, वृष राशि गाढ़ा नीला, मिथुन राशि हरा, कर्क राशि संतरी, सिंह राशि लाल, कन्या राशि हरा, तुला राशि गाढ़ा नीला, वृश्चिक राशि पीला, धनु राशि नीला, मकर राशि बैंगनी, कुंभ राशि बैंगनी, मीन राशि के लिए नीला रंग लाभदायक होता है।

अब तक मैं अंकों के बारे में काफी कुछ जान चुका था। मेरी जिज्ञासा और बढ़ती गई। मैं कुंडली के बारे में जानना चाहता था। मैने उनसे कुंडली पर प्रश्न किया। वे मेरी तरफ देखने लगे। दरअसल मैं कुछ सीखना चाहता था और मुझे कुछ अधिक बताने से बचना चाहते थे। फिर भी मैने जोर देकर पूछा कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के किसी खाने में बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र एक साथ बैठे हों तो उसके लिए कौन सा ग्रह अधिक प्रभावशाली होगा। उसने मेरी ओर देखा, एक क्षण जम्हाई ली और पेशाब करने को कहकर वे बाथरूम चले गये मैने उनके आने का इंतजार किया। आने पर मैने वही प्रश्न पुनः दाग दिया। अब वे गंभीर मुद्रा में थे उन्होंने अपनी डायरी निकाली और एक खाली पेज पर एक चोकोर सा आरेख बनाया उसमें सारे ग्रहों के नाम लिखे। उनके साथ उनके अंक लिख दिये और उनका जोड़ करने लगे। मैं देखता रहा कि अब क्या चमत्कार होने वाला है। फिर उन अंकों का जो कुल योग आया। उस योग को अलग-अलग विभाजित करके पुनः जोड़ा फिर जो योग आया वही उस ग्रह का अंक हुआ। अब उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे समझाया कि:-

बृहस्पति + मंगल + शनि + शुक्र

$3 + 9 + 8 + 6 = 26 \quad = 2 + 6 = 8$

इस प्रकार जोड़ करके उन्होंने बताया कि 8 का अंक शनि ग्रह का अंक है और उस व्यक्ति की कुंडली का शनि ग्रह प्रभावशाली है। मैं अंकों के चमत्कार से आश्चर्यचकित हो गया और अपनी व अपने बच्चों की कुंडली के बारे में सोचने लगा। गाड़ी धीमी गति से चल रही थी। उन महाशय का स्टेशन आ गया था वे उतरने की स्थिति में थे। मैंने उनका धन्यवाद किया। वे महाशय गाड़ी से उतर गये। मैं खिड़की से उन्हें देखता रह गया और एक पल के लिए अंकों के चमत्कार में खो गया। अब मैंने जाना कि अंकों का क्या महत्व है और अंक कैसे जादू करते हैं।

_रामेश्वर दयाल_
उपप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, जम्मू

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-।।, जम्मू

संक्षिप्त परिचय

स्थापना: 22 अक्टूबर, 1989 को पावर ग्रिड की स्थापना हुई। पावरग्रिड, देश की केन्द्रीय पारेषण संस्थान (सीटीयू) तथा विद्युत मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कम्पनी, विद्युत पारेषण के कारोबार में संलग्न है। इसे समस्त अन्तर-राज्जीय पारेषण प्रणाली की आयोजन, समन्वयन एवं नियंत्रण करने तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों को चलाने का अधिकार मिला है।

उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-।।: जम्मू में पावरग्रिड, उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-।। का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है। इसके अधीनस्थ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर एवं चण्डीगढ़ में उपकेन्द्रों व ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण करके एक बड़े पारेषण नेटवर्क को चलाया जा रहा है। इन राज्यों में स्थित समस्त कार्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण क्षेत्रीय मुख्यालय, जम्मू द्वारा किया जाता है।

क्षमता: देश के विभिन्न भागों में विद्युत की मांग को पूरा करने तथा विद्युत उत्पादन स्रोतों के किफायती उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु, कम्पनी देश में संगठित राष्ट्रीय ग्रिड को लगातार मजबूत कर रही है। वर्ष 2008-09 क अन्त में लगभग 20,800 मेगावाट की अंतर क्षेत्रीय बिजली अंतरण की क्षमता स्थापित कर दी गई है। राष्ट्रीय ग्रिड की अन्तर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता को वर्ष 2012 तक बढ़ा कर 37000/- मेगावाट से भी अधिक करने की योजना है।

राईट ऑफ वे: पावरग्रिड ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को सदैव ही प्राथमिकता दी है जो अधिकतर विद्युत पारेषण की लागत को न्यूनतम करने और मार्ग के अधिकार (राईट ऑफ वे) को संरक्षण के लिए भी है। इस उद्देश्य हेतु भारतीय विद्युत प्रणाली के अनुकूल विभिन्न नई प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है। जैसे आवश्यकतानुसार पारेषण लाइनों का उन्नयन, थाइरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कंपनशेषन का प्रयोग, हाई टेम्प्रेचर इंडुरेंस कंडक्टर, 400 कि.वो. पारेषण लाइनों हेतु पोल प्रकार के टावर ढाँचे का विकास करना, जीपीएस/जीआईएस आधारित सर्वे तकनीकों का प्रयोग आदि। वर्ष 2007-08 में 765 कि.वो. को चालू कर देने के बाद पावरग्रिड वर्तमान मार्ग के अधिकार (राईट ऑफ वे) और लम्बी दूरी की भारी मात्रा में विद्युत के स्थानांतरण की बढ़ी हुई क्षमता का प्रभावी उपयोग आदि करने के लिए देश में 1200 कि.वो. यूएचवीएसी प्रणाली और + 800 कि.वो. एचवीडीसी की अगली उच्चतर पारेषण वोल्टेजों पर काम कर रहा है।

यू.एल.डी.सी.शुरू करना: पावरग्रिड द्वारा कार्यान्वित की गई स्टेट-ऑफ-दी-आर्ट यूनिफाइड लोड डिस्पैच एण्ड कम्यूनिकेशन (यूएलडीसी) सभी पाँच क्षेत्रों में चालू हैं और आंकड़ों में उपलब्धता लाने में बहुत सहायक हो रही है।

टेलिकॉम नेटवर्क: पावरग्रिड ने सभी महानगरों, प्रमुख नगरों और कस्बों को आपस में जोड़ते हुए 20,000 कि.मी. से अधिक का टेलिकॉम नेटवर्क स्थापित कर दिया है जिसके द्वारा इसने जम्मू तथा कश्मीर एवं उत्तर पूर्व के राज्यों सहित दूर-दराज के क्षेत्रों को अपनी उपस्थिति दर्ज की है। पावरग्रिड उन कुछ टेलिकॉम व्यवसयियों में से एक है जिसने दूरदराज के क्षेत्रों में विशिष्ट उपस्थिति दर्ज की है और अनेक प्रकार की सेवाएं देने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। बड़ी टेलिकॉम कंपनियों के अलावा, भारत सरकार के प्रतिष्ठित संगठन जैसे ईआरएनइटी, एसटीपीआई, एनआईसी एवं विभिन्न सरकारी मंत्रालय हमार ग्राहक हैं।

परामर्शी सेवाएं: उप पारेषण, वितरण एवं टेलिकॉम क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में सशक्त इन-हाउस विशेषज्ञता में साथ पावरग्रिड अब राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शी सेवाएं दे रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पावरग्रिड दक्षिण एशिया में पारेषण क्षेत्र में एक सशक्त खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। हमारा सर्वाधिक प्रतिष्ठा वाला काम अफगानिस्तान में 220 कि.वो. की ऐसी पारेषण लाइन डालने का था जो 200 किलोमीटर लम्बी है एवं समुद्रतल से 4000 मीटर की ऊँचाई पर हिन्दुकुश क्षेत्र के ऊपर से गुजरती है, जो वर्ष में 9 महीने बर्फ से ढँका रहता है। यह परियोजना समयानुसार जनवरी, 2009 में पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त पावरग्रिड ने नेपाल, भूटान, नाईजीरिया, दुबई एवं म्यानमार में परामर्शी कार्य भी हासिल किए हैं।

पर्यावरण को स्वच्छ रखना: अपनी स्थापना से ही पावरग्रिड का प्रयास अपनी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परियोजनाओं के आयोजन से लेकर पूरी होने और बाद में चालू होने तक पर्यावरण को बचाने का रहा है। पारेषण परियोजनाएं पर्यावरण की

दृष्टि से स्वच्छ है और प्रदूषण रहित है तथा इनसे ठोस कचरा उत्पन्न नहीं होता। तथापि, विकासात्मक गतिविधियों के कारण कुछ पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं जो अधिकांशतः मामूली प्रकृति के होते हैं। लेकिन ऐसे मामलों को संभालने के लिए पावरग्रिड ने सभी संभव पर्यावरणीय मामलों के निवारण हेतु वर्ष 1998 में पर्यावरणीय एवं सामाजिक नीति और पद्धति (ईएसपीपी) विकसित की एवं वर्ष 2005 में उन्नत किया है जो चलनों एवं अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम रिवाजों के अनुरूप है। यह ईएसपीपी पर्यावरण संबंधी सभी मामलों में पहले से ही समुचित कार्यवाही कर समस्याओं को नहीं उभरने देती है।

विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम:- पावरग्रिड वितरण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) एवं राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के द्वारा भारत की राष्ट्र विकास योजनाओं में अग्रणी भूमिका निभा रहा है तथा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। एपीडीआरपी के अन्तर्गत पावरग्रिड 18 राज्यों में फैले 177 वितरण मण्डलों/शहरों/योजनाओं में परामर्शी व सलाहकार की भूमिका निभा रहा है। इसमे से अधिकतर योजनाएं चालू हो चुकी हैं।

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना:- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पारग्रिड को 68 जिलों के लगभग 74000 ग्रांवों के विद्युतीकरण के काम को पूरा करने का काम सौंपा गया है। समग्ररूप से मार्च 2009, तक पावरग्रिड ने 30000 गांवों का विद्युतीकरण हेतु आधारभूत संरचना की स्थापना कर ली है और लगभग 10 लाख गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के घरों में सर्विस कनेक्शन दिए गए हैं।

निगमिति सामाजिक दायित्व योजना:- पावरग्रिड क्षेत्रीय मुख्यालय, जम्मू एवं इसके अधीनस्थ स्थल कार्यालयों में निगमित सामाजिक दायित्व योजना (कारपोरेट सोशियल रिस्पोंसीब्लिटी) योजना के अन्तर्गत पावरग्रिड महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-।। के क्षेत्रीय मुख्यालय, जम्मू एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों/उपकेन्द्रों के आस-पास गरीब बच्चों के स्कूलों में कमरे बनवाने, उनकी सहायता करना, आसपास के गरीब लोगों की सहायता करनी, पेड़ लगवाने, पानी का प्रबंध करना, टयूब बैल बनवाने इत्यादि कार्य कर रहा है जिसमें लगभग एक करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं।

पुरस्कार:- पावरग्रिड विद्युत मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कम्पनी है। पावरग्रिड ने सात बार एमओयू अवार्ड (समझौता ज्ञापन उत्कृष्ट पुरस्कार) प्राप्त किया। तीन नेशनल अवार्डस फॉर मैरीटोरियम परफार्मेन्स प्राप्त किए । इसके अतिरिक्त आईमा पावर अवार्ड 2009 तथा अखिल भारतीय कर्मचारी के लिए औद्योगिक संबंधी पुरस्कार, स्टार पब्लिक सेक्टर कम्पनी अवार्ड, द फर्स्ट डीएसआईजे नीसएयू अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्ड, उत्तम दूरसंचार बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने हेतु इनफोकॉम सीएमएआई राष्ट्रीय दूरसंचार अवार्ड प्राप्त किए हैं।

पावरग्रिड, क्षेत्रीय मुख्यालय में हिन्दी:- क्षेत्रीय मुख्यालय, जम्मू मे कार्यरत समस्त कार्मिक अपने तकनीकी दायित्वों के सफल निर्वहन के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में भी दिन-प्रतिदिन उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे है। जिसके फलस्वरूप पावरग्रिड, जम्मू को केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन व बढ़ावा देने के कार्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर) द्वारा विगत चार वर्षो से पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू द्वारा पावरग्रिड जम्मू के क्षेत्रीय मुख्यालय को राजभाषा कार्यक्रम के कार्यान्वसन में वर्ष 2008-09 में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र भी दिए गए।

पावरग्रिड, जम्मू द्वारा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से समय-समय पर निम्नलिखित कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं:-

(1) हिन्दी प्रशिक्षण (2) हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन (3) हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन (4) कवि सम्मेलन का आयोजन(5) लक्ष्य से अधिक हिन्दी पत्राचार (6) धारा 3(3) का अनुपालन (7) कम्प्यूटरों में हिन्दी की व्यवस्था (8) विभागीय परीक्षाओं मे हिन्दी (9) राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन एवं तिमाही बैठक का आयोजन (10) अधीनस्थ कार्यालयों को अधिसूचित कराना (11) प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना (12) जाँच बिन्दु स्थापित करना (13) प्रशिक्षण व्यवस्था (14) विभिन्न आयोजनों में हिन्दी का प्रयोग (15) पत्रिकाओं का प्रकाशन (16) छपने वाली सामग्री का द्विभाषी मुद्रण एवं पुस्कारो का वितरण इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

शान्ति

बेहद खूबसूरत है चार-चिनार सा,
शीतल-शांत वह चाँद सा चेहरा।
बोझिल पलकें इठलाती तरुणाई,
इठलाता-शरमाता वह लाज सा चेहरा।।
शायद माँ वैष्णों के चरणों में लीन हो गया है,
जय माँ गुनगुनाता वह प्रहलाद सा चेहरा।
या बाबा अमरनाथ की गुफा में खो गया है,
अनुपम-अद्वितीय वह ताज सा चेहरा ।।
शायद वादी-ऐ-जन्नत कश्मीर में खो गया है,
यौवन-मधुरस लिए वह मधुमास सा चेहरा ।
या डलझील के भीतर सिमट गया है,
निर्मल-नीलम वह झनकार सा चेहरा।।
न जाने किश्तवाड़ के घने जंगल में खो गया है,
तड़फता - तड़फता वह आफताब सा चेहरा।
या सोनमर्ग की हिमशिला में सो गया है,
रिमझिम बरसता वह बरसात सा चेहरा ।।
शायद पत्नीटॉप की सुरम्य वादियों में खो गया है,
सुन्दर-सुखद वह नादान सा चेहरा ।
या बाग-ऐ-बाहू की बहार में खो गया है,
हंसता-मुस्कुराता वह गुलाब सा चेहरा ।।
शायद मधुर स्मृतियों के पन्नों में खो गया है,
हंसाता-रुलाता वह अलंकार सा चेहरा ।
सुभाष - सिसक उठा अब मन इन्तजार में,
न जाने कब मिले वह शांत भगवान सा चेहरा।।
वह दिन दूर नहीं जब इस घाटी का खोया हुआ,
पुनः मिलेगा शांति-प्यार व अनुराग सा चेहरा ।
वह सुबह जरूर आएगी तू उस सुबह का इन्तजार कर,
जब फिर मिलेगा शांति से जगमगाता चिराग सा चेहरा ।।

सुभाष चन्द शर्मा
राजभाषा अधिकारी,
पावरग्रिड, क्षेत्रीय मुख्यालय,
जम्मू

सही और गलत की पहचान करने वाले जितने अधिक होंगे, उन्नति उतनी त्वरित होगी। उनका विश्वास था कि असहायों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने वाले संसाधनों में ''शिक्षा'' सर्वश्रेष्ठ साधन है। उनका सबसे अधिक जोर शिक्षा के विस्तार पर रहा संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसी उद्देश्य का प्रतिफल है।

\- डॉ. अम्बेडकर

सम्पर्क भाषा

मेरे मन भाया तेरा विचार, भाषा हिन्दी
इसकी लिपि बनी भाषा उसकी, भाषा हिन्दी
हिन्द की सम्पर्क भाषा, भाषा हिन्दी
फोन कन्याकुमारी से पहुंचता कश्मीर, भाषा हिन्दी
फैक्स गुजरात से पहुंचती आसाम, भाषा हिन्दी
हिन्द की सम्पर्क भाषा, भाषा हिन्दी
हर व्यक्ति की सांस, हिन्द की धड़कन, भाषा हिन्दी
हर स्थान की बोली, हिन्द की पहचान, भाषा हिन्दी
हिन्द की सम्पर्क भाषा, भाषा हिन्दी
हम बोल-लिख सकते, भाषा हिन्दी
हम सीख कर कार्य कर सकते, भाषा हिन्दी
हिन्द की सम्पर्क भाषा, भाषा हिन्दी
हम मनाएंगे नहीं पखवाड़े ही, सब जानते भाषा हिन्दी
सरकारी, गैर सरकारी कार्य करेंगे पूरे साल, भाषा हिन्दी
हिन्द की सम्पर्क भाषा, भाषा हिन्दी

चेतन स्वरूप शर्मा
भंडारपाल, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जम्मू

पोखर

भूल गए सब गीत
जो जुबानी याद थे
रेडियो पे बजते ही
साथ ऊंचा गाते थे।
स्वछंद यौवन के
सुन्दर सुहाने सपने
बादलों में मन को
हर पल उड़ाते थे।
खोई है धुंध में
जीने की मौज मस्ती
टुकड़े-टुकड़े हो मन
गुम हुआ अंबर में
रिश्ते बन बेडियां
बांध गए मनचित
बन गई पोखर
ठहरी मैली जिंदगी।

तृप्ता
सहायक निदेशक (राजभाषा)
बी.एस.एन.एल., जम्मू

राष्ट्रीय समर्थ भाषा

वह समाज और राष्ट्र गूंगा है जिसकी न तो कोई अपनी भाषा है और न लिपि। अगर भाषा आत्मा है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाषा से किसी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की अभिव्यक्ति होती हैं।

विश्व में व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र का भौतिक विकास और आध्यात्मिक के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं का सम्मान तथा उनसे प्राप्त ज्ञान की सतत वृद्धि करने में ही सबका हित है।

राष्ट्र की विभिन्न भाषाओं का सम्मान करने से राष्ट्रीय भाषा का सूर्य स्वयं ही दीप्तमान हो जाता है। राष्ट्रीय भाषा स्वच्छन्द विचरने वाली वह सुगंधित पवन है जिसे आज तक किसी चार दीवारी में कैद करने का कोई भी महत्वाकांक्षी प्रयास सफल नहीं हुआ है।

स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय भाषाओं के नाम पर भेद-भाव, वाद-विवाद और टकराव की मनोवृत्ति महत्वाकांक्षा की जनक रही है जिससे कभी राष्ट्र का हित नहीं है। विभिन्न मनोवृत्तियां महत्वाकांक्षा उत्पन्न होने से पैछा होती है और उसके मिटते ही वह स्वयं नष्ट हो जाती है।

संस्कृत व हिन्दी भाषाओं ने सदाचार, सत्य, नीति, सदव्यवहार और सुसंस्कार संवर्धन करने के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई सदियां बीत जाने के पश्चात ही कोई एक भाषा राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा और फिर वह राष्ट्र की सर्व सम्मानित राजभाषा बन जाती है। भारत में कभी सर्वसुलभ बोली और समझी जाने वाली संस्कृत भाषा देश की वैदिक भाषा थी जिसमें अनेकों महान ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। संस्कृत भाषा को कई भाषाओं की जननी माना जाता है। इस समय हिन्दी भाषा की राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा होने के साथ-साथ राजभाषा भी है। हमें उस पर गर्व है। भारत में हिन्दी भाषा अति सरल, बोली, लिखी, पढ़ी, समझी और समझाई जा सकने वाली मृदु भाषा है। आशा है कि इसे एक न एक दिन संयुक्त राष्ट्र मंच पर उचित सम्मान अवश्य मिलेगा। भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, संयुक्त राष्ट्र मंच पर अपने सर्वप्रथम भाषण में हिन्दी का प्रयोग करके इसका शुभारम्भ कर चुके है। वे राष्ट्र के महान सपूत हैं।

हिन्दी के प्रोत्साहन हेतु देश भर में अब तक हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/आयोजन के सरकारी अथवा गैर सरकारी अनेकों सराहनीय एवं प्रसंशनीय प्रयास हुए हैं। इससे आगे हमें हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/आयोजनों के स्थान पर हिन्दी मासिक/तिमाही/छःमाही और वार्षिक आयोजनों का आयोजन करना होगा। हिन्दी भाषा को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने हेतु सरल सुबोध हिन्दी शब्दकोश कारगर सिद्ध हो सकते है जिन्हें प्रतियोगियो का प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जा सकता है और पुस्तकालयों में पाठकों की ज्ञानसाधनार्थ उपलब्ध रवाया जा सकता है।

सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यालयों में फाइलों व रजिस्टरों के नाम हिन्दी भाषा में लिखे जा सकते हैं। कार्यालयों की सब टिप्पणियां/आदेश/अनुदेश हिन्दी भाषी जारी किए जा सकते हैं। कार्यालयों में अधिकारी व कर्मचारी नाम पट्टिकाएं तथा उनके परिचय पत्र हिन्दी भाषी बनाए जा सकते हैं। कार्यालय संबंधी पत्र व्यवहार/बैठकें/संगोष्ठियां/विचार विमर्श इत्यादि कार्य अधिक से अधिक हिन्दी भाषा में हो सकते हैं।

जन-जन की सम्पर्क भाषा हिन्दी को राजभाषा में भली प्रकार विकसित करने का प्रयास सरकारी या स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा मात्र खानापूर्ति के आयोजनों तक ही सीमित होकर न रह जाए। इसके लिए प्रांतीय, शहरी और ग्रामीण स्तर के बाजारों में तथा सार्वजनिक स्थलों पर जैसे स्वयं सेवी संस्थाओं, दुकानों, पाठशालाओं, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, रेलवे स्टेशनों और वाहनों आदि के नाम, परिचय, सूचना पट्ट इत्यादि हिन्दी भाषा में लिखकर यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत देश की राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा हिन्दी है और हिन्दी ही उसकी अपनी राजभाषा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और असम से सौराष्ट्र तक भारत एक अखण्ड देश है। हिन्दी भाषा अपने आप में हिन्द देश को सुसंगठित एवं अखण्डित बनाए रखने में पूर्ण सक्षम है। वह विश्व में अंग्रेजी के समकक्ष होने मे हर प्रकार से समर्थ है।

चेतन स्वरूप शर्मा
भंडारपाल
केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जम्मू

हिन्दी बेचारी अपनों से हारी

भाषा की चर्चा प्रारम्भ करते हुए यह भाषा के रूप हमारे मस्तिष्क पटल पर आ जाते हैं- साहित्यिक भाषा, कामकाज की भाषा अथवा बोलचाल की भाषा/ पहले वर्ग में वह भाषा आती है जिसे सिद्धोंनाथों ने अपना आधार बनाया, अमीर खुसरों से लेकर रामधारी सिंह 'दिनकर' तक ने साहित्यिक रूप दिया तथा आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल पार करते हुए जो आधुनिक काल तक पहुंची। दूसरा रूप कामकाज की भाषा का है, जिसे मुख्य रूप से शासकीय भाषा कह सकते हैं। यह गौरव हिन्दी को आजादी के उपरान्त ही प्राप्त हो सका। भाषा का तीसरी रूप है बोलचाल की भाषा का, जिसे हम जनभाषा के रूप में व्यवहार में लाते हैं। लिखने और पढ़ने से अलग बोलना और समझना भाषा के सबसे सशक्त माध्यम हैं। भारत जैसे देश में जहाँ आजादी के 47 वर्षो बाद भी निरक्षरों की संख्या 48 प्रतिशत है, इस बोलचाल अथवा सम्पर्क भाषा का विशेष महत्व है। यही वह भाषा है जिसे साधुओं, संतों, गायकों, धर्म-प्रचारकों, समाज सुधारकों तथा यायावरों ने अधिक से अधिक काम में लाया। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसी भाषा में 'सत्यार्थ-प्रकाश' लिखा तथा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने इसके माध्यम से आज़ादी की पूरी लड़ाई लड़ी तथा इसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित-प्रसारित किया। यही वह जनभाषा है जिसे आज़ादी के बाद 14 सितम्बर, 1949 को राजभाषा के रूप में संविधान में स्थान मिला।

हिन्दी के व्यवहार में व्यवधान आते रहे हैं आ रहें और आते रहेंगे, परन्तु फिर भी हिन्दी का व्यवहार क्षेत्र विस्तृत होता रहा है, होता रहेगा। दासता से मुक्त होने के बाद छः दशकों तक भी हिन्दी को उसका अपना स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। संविधान में 14 सितम्बर, 1949 को यह प्रावधान किया गया था कि सन् 1965 तक देश का समस्त राजकाज हिन्दी में ही होने लगेगा किन्तु व्यवहारिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहीं और हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाये।

अंग्रेजी से प्राप्त शिक्षा प्रणाली, जिसने हमारे आचार-प्रचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज, संस्कृति और क्रियाकलापों में परिवर्तन ला दिया है उसमें हम आकंठ डूब गए हैं और उससे बाहर निकलने में असमर्थ हैं। आधुनिक भारत के निर्माण पंडित जवाहर लाल नेहरू जहाँ संस्कृत की महानता और हिन्दी के गौरव के कायल थे वहाँ वे अंग्रेजी के प्रबल समर्थक भी थे। उनका विचार था, ''अंग्रेजी हमारे लिये महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आधुनिक विश्व को देखने के लिये एक बड़ी खिड़की है और हम इस खिड़की को बंद करने की गलती नहीं कर सकते ।''

अंग्रेजी के इसी लोभ के कारण हिन्दी को अपना आसन ग्रहण करने से पूर्व अनेक संघर्षों और आन्दोलनों के दौर से गुजरना पड़ा है। इसमें अनेक महान विभूतियों ने अपना योगदान दिया है।

आजादी के साथ ही जनभाषा हिन्दी का राज्याभिषेक लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा कही जा सकती है। जनता की सामान्य बोलचाल और निरक्षरों के व्यवहार की भाषा हिन्दी को जब राजभाषा का दर्जा दिया गया तो उस दिन निश्चय ही गाँधीजी का सपना पूरा हुआ, जिनका आक्रोश था, ''कि लाखों लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान कराना उन्हें गुलाम बनाना है। मैकाले ने भारत में जिस शिक्षा की नींव रखी, उसने हम सबको गुलाम बना दिया।'' यानी गाँधी जी अंग्रेजी को गुलामी का प्रतीक मानते थे। गाँधीजी चाहते थे अंग्रेजी रहें तो रहे पर अंग्रेजी चली जाये।

कुछ क्षेत्रों के प्रांतीय कार्यालयों को छोड़कर केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी का व्यवहारिक प्रयोग कम है। कारण अपनी भाषा की अवहेलना, अरूचि अथवा अपनी कमजोरी हो सकती है। कार्यालय की कुर्सी पर बैठते ही उन पर अधिकारीपन का भूत सवार हो जाता है। कलम अंग्रेजी में चलने लगती है, परन्तु कैन्टीन में जलपान हेतु बैठते हैं, तो हिन्दी का व्यवहार करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है। कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र दे देने से ही हिन्दी राजकाज की भाषा नहीं बनेगी, जब तक इसका व्यवहार नहीं होगा। मुख्य कारण भाषा की प्रधानता का है चाहे भाषा अनुवाद की हो या उच्चारण की। भाषा का अनुवाद भी अंग्रेजी शब्दावली को ध्यान में रखकर किया जाता है, किन्तु उच्चारण की विशिष्ठता के कारण मुख्य शब्द का रूप ही बदल जाता है। जैसे योग-योगा, राम-रामा, गुप्त-गुप्ता, केरल-केरला कहा जाने लगा है इस प्रकार के उच्चारण से क्या प्रयोजन है जिसमें शब्द का मूल रूप ही नष्ट हो जाए, उसका अस्तित्व ही न रहे जबकि हम उसका शुद्ध रूप और शुद्ध उच्चारण जानते हैं। अपनी खामियों के कारण शब्द का शुद्ध रूप जानते हुए भी उसका उच्चारण नहीं करते।

दूसरी ओर भाषा का अल्पज्ञान होने पर बहुत से व्यक्ति अपनी भाषा की क्रिया बिगाड़कर या ऊटपटांग बोलकर अंग्रेजी धुन में बात करने में अपना बड़प्पन समझते हैं।

व्यवहारिकता में दूसरे व्यवधान उन अंग्रेजी भक्तों के कारण हैं जिनके घरों में अंग्रेजी व्यवहार की पूर्ण भाषा बन चुकी है। उनके घरों में हिन्दी का व्यवहार भी निंदनीय माना जाता है। यहां तक कि बच्चों को भी उसी अंग्रेजी ढांचे में ढ़ाला जाता है। बोलने वाले शब्द 'मम्मी-डैडी' ने माताजी तथा पिताजी को अपदस्थ कर दिया है। चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, मौसा को अंकल शब्द में लुप्त कर दिया है। चाची, मामी, ताई, मौसी, फूफी आदि को आँखों ने चुरा लिया है। शिक्षा का प्रथम आधार अपनी ही भाषा हो सकती है कि अपनी भाषा का पूर्णज्ञान नहीं और विदेशी भाषा के प्रति इतनी आशक्ति कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय मशरूम की तरह प्रतिदिन बढ़ोत्तरी पा रहे हैं। जबकि हिन्दी माध्यम के विद्यालयों का दिवाला निकल रहा है यहाँ तक कि रिक्शा चालक और मजदूर वर्ग भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाना पसंद करते हैं। हिन्दी माध्यम से नहीं। सीखने के उद्‌देश्य से मेरा तात्पर्य यह नहीं कि हम अन्य भाषा सीखें ही नहीं किन्तु सीखें तब जब विद्यार्थी इस योग्य हो जाये। स्कूलों मे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के साथ-साथ इस बात पर भी ज़ोर दिया जा रहा है कि छात्र सहपाठियो, अध्यापकों और माता-पिता के साथ अंग्रेजी में बातचीत करें। दक्षिणी राज्यों में तो हिन्दी के प्रयोग की स्थिति और भी गम्भीर है। इन परिस्थितियों में यह कहना बहुत ही कठिन होगा कि आज के छात्र, जो देश के भावी निर्माता होंगे, हिन्दी के प्रचार-प्रसार में और उसे बोलचाल की भाषा के रूप में अपनाने में रूचि लेंगे।

जहाँ तक उच्चतर शिक्षा का संबंध है, छात्रों को इस बात की छूट दी जाती है कि वे अपनी रूचि के अनुसार विषयों का चयन करें। इस स्तर पर छात्र विषयों का चयन करते समय अपनी व्यावसायिक रूचि को ध्यान में रखते हैं। चूंकि, हिन्दी के व्यावसायिक क्षेत्र बहुत सीमित हैं, अतः उच्चतर शिक्षा के स्तर पर इसे और भी ज्यादा नज़र अंदाज किया जाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि हिन्दी को एक उपेक्षित विषय माना जाता है।

आज के परिवेश ने हिन्दी को इस कदर प्रदूषित किया है कि इस प्रकार के भाषा रूप को देखकर स्वाभाविक लगता है कि हिन्दी के भाषाकार, विद्वान विचलित हो उठें। स्कूलों में, कालेजों में और घरों में हिन्दी बोलचाल की एक अनूठी प्रणाली आज देखने को मिलती है। जिसे "हिंग्लिश" की संज्ञा दी जाती है। एक भारतीय माँ अपने बच्चे से कहती है - "चलो क्विकली अपना होमवर्क फिनिश कर लो, दैन हम आपको पार्क ले जायेंगे।" अध्यापिकाएं अपने छात्रों से यह चेतावनी देते हुए अक्सर सुनी जाती हैं- "ये असाइनमैन्ट कम्पलीट नहीं हुआ तो मैं दो मार्क्स डिड्क्ट कर लूंगी।" आज के युवावर्ग में भी इसी प्रकार की भाषा बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उन्हें शुद्ध हिन्दी का प्रयोग करने में हिचक महसूस होती है तथा अंग्रेजी की भी व्याकरणीय अशुद्धियां कहते हैं।

हिन्दी को ऐसी स्थिति तक पहुँचाने में हमारे शिक्षण संस्थाओं (विशेषकर अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले विद्यालयों) ने एक अहम् भूमिका निभाई है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसके बच्चे एक दो तीन के स्थान पर वन, टू, थ्री न कहते। आज के विद्यालय में बढ़ रहे बच्चे से यदि कहे कि पचास लिख कर दिखाओं तो वह हमारे चेहरे की ओर सहायता की उम्मीद से देखने लगता है लेकिन फिफ्टी कहते ही वह बिना किसी हिचकिचाहट के समझ जाता है।

हमारी अपनी भाषा के प्रति जैसी विकट स्थिति आज हमारे सामने आ रही है, वैसी स्थिति तो ब्रिटिश शासन में भी नहीं थी जबकि उस समय हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनके शासनकाल में हमारे विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा को छोड़कर अन्य विषय हिन्दी भाषा में या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाए जाते थे। लेकिन आज हमारे विद्यालयों में पठन-पाठन के लिये हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों की भरमार हैं। विशेषकी तकनीकी विषय तो अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं।

भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने इस सन्दर्भ में लिखा है-

"अंग्रेजी पढ़ि के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण।
पै निज भाषा ज्ञान विन, रहत हीन के हीन।।"

उनका यह भी मानना था कि हिन्दी ही वह भाषा है जो हमारे बहुभाषीय विविधता पूर्ण समाज को एक सूत्र में

बांधती है। हिन्दी के महत्व को बताते हुए उन्होंने लिखा भी है-

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति का मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिये को सूल।"

आज बहुत से लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद अंग्रेजी के अभाव में बढ़िया नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं। भले ही कहीं हिन्दी से जुड़े कार्य के लिये ही साक्षात्मकार का आयोजन क्यों न किया जाता हो लेकिन वहाँ अच्छी हिन्दी की जानकारी रखने वालों को ही प्राथमिकता दी जाती है। कई विभागों में जाने पर आपको राजभाषा का प्रचार-प्रसार दिखायी देगा। वहां मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा मिलेगा, "यहां हिन्दी मे भरे फार्म स्वीकार किये जाते हैं, हिन्दी में काम करना आसान है, आप शुरू तो करें, हिन्दी हमारी राजभाषा है, इसका सम्मान करें .... आदि-आदि।" लेकिन भूल से भी कभी आपने हिन्दी में प्रपत्र भरकर दे दिया तो वे आपको अजीब तरीके से घूरेंगे। खासकर तक, जब आपने हिन्दी के अंकों में थिति और राशि भरी हो तो वह ऐसे देखते हैं जैसे आपको पूरी तरह निगल ही डालेंगे।

अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बताने वाले भारतीय दरअसल आत्महीन ग्रन्थि के रोगी हैं। अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक ब्लूम फील्ड ने अंग्रेजी के विषय में लिखा है,

"अंग्रेजी के भारतीय प्राध्यापकों को हालीकुड की फिल्म दिखाईये, पूछिये वह कितना समझते हैं।"

"अंग्रेजी के मोह में, खोई निज पहचान।
घर के रहे, न घाट के, हम धोबी के श्वान।।"

अन्य देशों से संबंध जोड़ते समय, समझौतों पर हस्ताक्षर करते समय तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर हमारे राजनायिकों द्वारा अपनी भाषा की अवहेलना स्पष्ट परिलक्षित होती है। जबकि देशवासी तथा विदेशी अतिथि भी इसकी ओर संकेत करते हैं। न्यायालयों की भाषा अभी तक अंग्रेजी है। हिन्दी में मुकदमा लड़ने पर वकीलों को परेशानी होती है। अपने ही देश में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है। हिन्दी भाषा में अन्य विषयों की पुस्तकों का भी अभाव है।

भारत संघ के प्रान्तों का भाषा के आधार पर विभाजन ही हिन्दी की प्रगति में बाधक रहा है। हालांकि भाषा के उद्‌देश्य से प्रांतीय भाषाएं सहयोगी है लेकिन प्रांतीय भावना में सम्प्रदायिकता धर्म, भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज और स्वार्थता का समावेश रहता है। हिन्दी सभी भारतीय भाषाओं की सहोदरा है। उनके विकास में अपना सक्रिय सहयोग भी देती है। हिन्दी भाषा की सह सक्रियता आज बहुआयामी बन गई है। लेकिन यह अत्यंत बहुआयामी बन गई है। लेकिन यह अत्यंत खेद का विषय है कि कुछ स्वार्थी राजनीतिक तत्वों ने प्रांतीय भाषओं को राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रतिद्वन्दी मान लिया है और यही राग अलाप रहे हैं कि हिन्दी किसी पर थोपी नहीं जाएगी। सच तो यह है कि कोई भी भाषा थोपने से नहीं अपितु व्यवहार से फलती फूलती है और कोई भी भारतीय नागरिक इस बात से मुँह नहीं मोड़ सकता कि अन्य प्रांतीय बंधुओं से बातचीत करने के लिये हिनी के अतिरिक्त कोई और भाषा हमारी सहायता नहीं कर सकती।

हिन्दी के व्यवहारिक प्रयोग का उपेक्षापूर्ण व्यवहार भाषा को समृद्ध नहीं बना सकता जिस प्रकार तैरने के लिये उद्धत व्यक्ति जब तक पानी तके नही उतरेगा तक तब तैरना नहीं सीख सकता। वैसे ही हम जब तक अपनी भाषा को उन्नत बनाने के लिये तैयार नहीं होंगे तब तक वह उन्नत नहीं होगी और हम सफलता नहीं पा सकते। क्योंकि कोई भी भाषा केवल सरकारी प्रयासों से जन समुदाय की भाषा नहीं बन सकती।

प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस, हिन्दी पखवाड़ा, हिन्दी सप्ताह...... न जाने क्या-क्या मनाया जाता है। हिन्दी के विकास के लिये कई वादे-वादे, किये जाते हैं। लेकिन उनकी भी एक नियत समय तक ही मुश्किल से चर्चा होती है। फिर अगले साल हिन्दी दिवस के लिये सब कुछ ठप सा हो जाता है। ऐसे में तो हिन्दी का भला ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। भारत की संविधान सभा में 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को राजभाषा बनाने का निर्णय हुआ था। लेकिन इन 59 वर्षो में हमने क्या किया?सारे साल हम अंग्रेजी के गुण गाते हैं और इस एक पखवाड़े में हिन्दी की वाह-वाह करते हैं। संविधान सभा में 15 वर्ष तक अंग्रेजी से राज-काज चलाने का परन्तुक जोड़ा गया। इसके उपरान्त राजभाषा आयोग तथा संसदीय राजभाषा

समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद में राजभाषा अधिनियम, 1963 पास किया गया।

हिन्दी और सभी भारतीय भाषाओं के साथ हमारे गणतंत्र में न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हुआ है। आज भी यद्यपि हिन्दी और भारतीय भाषायेंज न व्यवहार में सर्वाधिक प्रयोग में लायी जा रही है, तथापि प्रशासन में उनके उपयोग के बारे में उत्साहजनक वातावरण नहीं बनाया जा सका है। संवैधानिक संकल्प को पूरा न कर पाने में राजनैतिक विवके का अभाव एक सम्भाविक कारण दिखाई पड़ता है परन्तु यह वह समय था, जब दिग्गज जन नेता जीवित थे औश्र जिस तरह उन्होंने देश की अन्य समस्याओं को निपटाने में सफलता अर्जित की थी, इस प्रश्न पर वह विफल रहे।

आज हिन्दी में करीब एक दर्जन वेब पत्रिकायें निकल रही हैं और यह सभी हिन्दी प्रेमियों औश्र लेखक समुदाय के प्रयास हैं। आज हिन्दी की जितनी वेबसाइट उपलब्ध हैं उनमें से ज्यादातर गैर सरकारी हैं कहने का तात्पर्य यह है कि करोड़ों रूपये के बजट के बावजूद सरकारी संस्थान और परिषदें कुछ काम नहीं कर रही हैं। इससे यह तो सिद्ध होता है कि भाषा सरकार की नहीं, लोगों की होती है और भाषाओं का प्रचार-प्रसार सरकारें नहीं कर सकती। यह काम संबंधित भाषा-भाषी ही कर सकते हैं। मित्रों! हिन्दीकरण के इस राष्ट्रीय महाअभियान में हम सामूहिक प्रयासों से ही यह महायज्ञ सफल होगा। सोचो ज़रा, क्या मुट्ठी भर हिन्दी अधिकारी सैकड़ों सालों से चली आ रही विदेशी भाषा को किसी जादुई छड़ी से मिटाकर हिन्दी को दफतरों की भाषा बना सकते हैं?

सूचना क्रान्ति के इस दौर हिन्दी का विकास तो हुआ लेकिन क्या वो सृजन और सार्थक संवाद की भाषा बन सकी?नहीं आज एक बड़े तबके की बातों से यही निष्कर्ष निकला। एक ओर तमाम कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़े का शुभारम्भ हुआ, एक परम्परा की तरह। हिन्दी पर बड़े-बड़े भाषण हुए। हिन्दी को विश्व फलक पर स्थापित करने के संकल्प लिये गये। ये सब कुछ बड़ी बेचारगी के साथ हुआ।

सरकारी दफतर अब कम्प्यूटरीकृत हो गये हैं। कम्प्यूटर हिन्दी नहीं जानते या उनके लिये हिन्दी में काम करना सुगम नहीं है। कोर्ट के आदेश आज भी अंग्रेजी में आते हैं। वे मानते हैं कि हिन्दी में निर्धारित व्याकरण से अधिक क्षेत्रीय प्रभाव है। जिसकी बजट से उच्चारण में अशुद्धियॉं है और रहेंगी भी। लिखने में जरूर त्रुटियां सुधारी जा सकती हैं। लेकिन इसके लिये मानक निर्धारित करके उनके अनुपालन के प्रयास कराने होंगे। तभी हिन्दी धीरे-धीरे मृद्ध होगी। धीरे-धीरे हिन्दी का भविष्य बेहतर होता जा रहा है।

राष्ट्र अपनी भाषा में ही अभिव्यक्त होते हैं। मातृभाषा में ही प्रीति, प्यार, राग, द्वेष, काव्य सृजन चरम पाते हैं। कल हिन्दी दिवस आया, उत्सव हुए, फर्जी बातें हुई। पर भारत का भविष्य हिन्दी है, हिन्दी हमारी अभिव्यक्ति है, हमारे आनंद व चरम संगीत और काव्य भी है। भाषा की उपेक्षा से देश का कितना अहित हुआ इसके तमाम पक्षों पर आज विवेकशील शोध कार्य की आवश्यकता है। आज भी गहराई से पड़ताल करें, तो मामला के सही है कि प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में दी जाये और माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा व विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वभाषा के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाये, प्रान्तीय भाषाओं और राष्ट्रभाषा में शिक्षा की गहमा-गहमी के मौलिक चिन्तन का रास्ता प्रशस्त होगा। भाषा को रोज़गार से जोड़ना आज राष्ट्र की पहली जरूरत होनी चाहिये। मोटे तौर पर दिये गये सुझावों को समस्या के मूल बिन्दु को सुलझाने की दिशा में एक कारगर उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विश्व परिदृश्य में भारत की मौजूदा स्थिति हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिहाज से बेहद उपयुक्त है।

राष्ट्रीय कवि गुप्ता जी के शब्दों में मुझे विश्वास है कि वह समय दूर नहीं जब समस्त विश्व भारत की ओर लौटेगा एवं हिन्दी केवल भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा न होकर समस्त विश्व की राजभाषा बनेगी बशर्ते हिन्दी का रथ चलाने हेतु कृष्ण जैसा सारथी इस रथ को दिशा दिखाये।

राष्ट्र हमारा अमर राष्ट्र हो, हिन्दी मंगलकारी।
हिन्दी भाई, हिन्दी भाषा, लायेगी उजियारी ।।

रमेश चन्द्र भट्ट
पंजाब नेशनल बैंक
मंडल कार्यालय, जम्मू

राजभाषा व्यंग्य

मैं निकला जब घर से मेरे मन में विचारों की नदियाँ हिलोरे ले रहीं थी आखिर में राजभाषा का कर्मचारी था एवं एक बड़े कार्यालय मे कार्यभार ग्रहण करने जा रहा था। मार्ग अधिक लम्बा होने के बावजूद मुझे सफर मन में खटक नहीं रहा था। खटकता भी क्योंकि मैं तो नए स्थान, नए वातावरण, नए अधिकारी, नए-नए चेहरे, उस पर भी मन में यह विश्वास कि मैं राष्ट्र का हितकर राजभाषा का कर्मचारी हूँ तथा राजभाषा के नाम पर ही मुझे स्वत: सम्पर्क बनना है। इन्हीं विचारों के पुल पार करता हुआ मैं एक बड़े से भवन के समीप मुख्य द्वार की ओर अग्रसर होता जा रहा था आखिर यही वह द्वार है जिसमें मैने प्रवेश पाना है। इस विचार से मैंने पास खड़े सुन्दर से मुख वाले एक व्यक्ति से पूछा- भाई साहब, क्या यही जी.एम. ऑफिस है। व्यक्ति ने मेरा परिचय जानना चहा। मैं तुरन्त बोला ''राजभाषा अधिकारी हूँ तथा आँग्ल को हिन्दी में लिखना मेरा कार्यक्षेत्र है''। व्यक्ति को मेरी बात भला क्योंकर समझ आती। बोला भाई साहब हम तो प्रोजेक्ट के अधिकारी है, आँग्ल के नहीं। इसकी ठौर कहीं और ढूंढ़ो। बात तो सही थी।

पास मे ऐ सुन्दर यूवती खड़ी थी। उसके चहरे की ओर देखा तो लगा वसुन्धरा पर चन्द्रमा उत्तर आया हो। मन से ध्यान निकल गया कि मैं सरकारी काम पर आया हूँ। उससे दो बातें की। अपने आने का प्रयोजन बताया तथा युवती मुझे द्वार के अन्दर कराकर एक कमरे में ले गई- बाबू जी, इसकी षात सुनो कुछ कहना चाहते हैं। सामने कुर्सी पर विराजमान बाबू जी बोले- क्या है, कौन हैं, किस कार्य से आए हैं- विनती की मैंने कि हिन्दी टंकण नहीं ट्रॉन्सलेटर हूँ। ट्रॉन्सलेशन तो यहाँ होती नहीं यह कार्यालय है प्रोजेक्ट का कोई विद्यालय नहीं। पास एक बड़े कमरे की तरफ संकेत करके बोले- इस में बड़ा अधिकारी बैठता है। अपनी ट्रॉन्सलेशन वहीं खोलो। द्वार पर तो पहुँचा, परन्तु डर था कि यह भी कहीं प्रश्न ही न करें। विद युवर परमीशन सर, बाहर दो मिनट रूको मैं स्वयं बुला लूंगा।

मैं बाहर खड़ा अपने आप को कोसता रहा। क्या पड़ी थी मुझको राजभाषा के झंझट में पड़ने की। आँग्ल को हिन्दी में करने के अलावा मैं क्या कुछ कर नहीं सकता था ? क्या मेरे से वह बाबू अच्छा नहीं जिसको अगरचि ज्ञात नहीं कि अनुवाद कार्य भी सरकारी कार्य का अभिन्न अंग है, परन्तु वह अधिकारियों के बिल तो पास करता है। चपड़ासी बाहर आया पूछा- आप ही ट्रॉसफारमर है, साहब अन्दर बुला रहा है। मैं भीतर गया साहब ने प्रवेश पत्र पर लिख दिया था 'सीन, में रिपोर्ट टू पी.एण्ड.ऐ'। मैंने सोचा शायद यहाँ तुरन्त स्वागत होता है, पकवान एवं आमलेट से। मैं बाहर किसी से पूछ कर पी.एण्ड.ऐ के कमरे तक पहुँचा। मुझे एक बूढ़ी सी कुर्सी पर बिठा दिया तथा अगले आदेश तक इस पर बैठे रहने की हिदायत हुई।

सुबह-शाम गिनते-गिनते दो मास बीत गए। परन्तु इस बुढ़ी कुर्सी ने मुझे छोड़ा नहीं। इस के ठंडे शिथिल अंगों से मेरी अपनी शारीरिक शक्ति भी कुछ शिथिल पड़ने लगी। मुझे आभास-सा होने लगा कि कहीं नपुन्सकता का शिकार न हो जाऊँ। बड़ी मुश्किल से इस कुर्सी को वहीं छोड़ा अब आशा बंधी कि अपना घर बसने लगा। घर मिला परन्तु सुना। मुझे लगा कि मै। अनाथ हो गया। आस पड़ोस चहल-पहल, परन्तु मेरा घर क्योंकर सूना/अंधेरा। बात की गहराई तक झांका तो पाया दरअसल मैं नहीं मेरी माँ राष्ट्रभाषा ही अनाथ से व्याही गई थी।

त्रिलोक चन्द शर्मा
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
दुलहस्ती पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड,
जिला-किशतवाड़ (जम्मू कश्मीर)

नोटिंग शीट

श्रीमती (अपने कार्यालय अधीक्षक पति से)

-ऑफिस से इतने लेट आते हो आजकल ऐसा क्या काम करते हो

कार्यालय अधीक्षक (श्रीमती से)

-ठीक है, आज से तुम घर में जो काम करती हो, उसे नोटिंग में पुटअप करोगी तो पता लग जाएगा कि मैं क्या काम करता हूँ।

दिवाली का त्यौहार आ रहा था। श्रीमती को साड़ियों की आवश्यकता थी। श्रीमती ने नोटिंग बनाई। नोटिंग में लिखा-दिवाली के त्यौहार पर मुझे तीन साड़ियों की आवश्यकता है। जिसमें से प्रत्येक की कीमत 750/- रूपये है। कृपया साड़ियाँ खरीदने की अनुमति प्रदान करें।

शाम को

पतिदेव (कार्यालय अधीक्षक महोदय) घर पहुंचते हैं, नोटिंग पढ़ते है। और उस पर टिप्पणी लिखते हैं। कृपया पिछले पांच सालों के दौरान खरीदी गई साड़ियों का विवरण प्रस्तुत करें।

दूसरे दिन

पत्नी ने बक्से टटोले और पिछले पांच साल की साड़ियों का किसी तरह विवरण बनाकर नोटिंग शीट में प्रस्तुत किया।

शाम को

कार्यालय से आकर साहब ने नोटिंग पढ़ी और टिप्पणी लिख दी-साड़ियों का निपटारा (डिस्पोजल) बताएं।

तीसरे दिन

श्रीमती ने नोटिंग में लिखा-दिवाली का त्यौहार समाप्त हो चुका है। इसलिए अब साड़ियों की आवश्यकता नहीं है।

शाम को

कार्यालय से आकर साहब ने नोटिंग पढ़ी और टिप्पणी लिख दी-नोटिंग को बिना किसी कार्रवाई के फाइल कर दें और यह भी लिख दिया कि अभी शायद आपको पता लग गया होगा कि मैं कार्यालय में क्या काम करता हूँ और क्यों लेट घर आता हूँ।

हिन्दी दिवस समारोह रिपोर्ट

पंजाब नैशनल बैंक, मंडल कार्यालय, जम्मू द्वारा 25 सितम्बर को मंडल कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में हिन्दी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महाप्रबंधक श्री रमेश चन्द्र कौल ने की। अपने सम्बोधन में उन्होंने सभी स्टॉफ सदस्यों से अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास व कार्यान्वयन के लिए संविधान में किए गए विभिन्न प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम व इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए। इस नियमों का पालन करना न केवल हमारा कर्त्तव्य है अपितु हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। बैंक में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में हमारे प्रधान कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं, उन सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। केन्द्र सरकार का एक उपक्रम होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि हम अपने कार्यक्षेत्र में अपने सभी दैनिक कार्यो में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

सहायक महाप्रबंधक श्री बी.एल.जैन ने अपने संबोधन में राजभाषा हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस दिशा में प्रधान कार्यालय की अपेक्षाओं से अवगत कराया तथा दैनिक कार्यो में सरल हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा श्री अमरजीत बट्टू ने किया। समारोह के अन्त में पुरस्कार वितरित किए गए।

रमेश चन्द्र भट्ट
पंजाब नेशनल बैंक
मंडल कार्यालय, जम्मू

जीवन की उपलब्धियां

थोड़ा सा सम्मान मिला - पागल हो गए ।
थोड़ा सा धन मिला - बे काबू हो गए ।
थोड़ा सा ज्ञान मिला - उपदेश की भाषा सीख ली ।
थोड़ा सा यश मिला - दुनियां पर हंसने लगे ।
थोड़ा सा रूप मिला - दर्पण ही तोड़ डाला ।
थोड़ा सा अधिकार मिला - दूसरों को बाहर कर डाला ।
इस प्रकार तमाम उम्र छलनी से पानी भरते रहे। अपनी समझ में बहुत बड़ा काम करते रहे।

सुन्दर सहनी
सहायक श्रेणी-। (हिन्दी)
मानव संसाधन विभाग/हिन्दी अनुभाग,
दुलहस्ती पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड,
जिला-किश्तवाड़ (जम्मू कश्मीर)

क्या तुमसे एक बात कहूँ

सुन ले मन तू धीरे-धीरे
आज तुम्हें एक बात कहूँ,
यह घनघोर अंधेरी दुनियाँ,
भेदभाव से बंधी ये दुनियाँ,
मौका परस्त-सी लगी ये दुनियाँ,
क्या तुमसे एक बात कहूँ।

जब ना था कोई यहाँ अपना,
अपना कहना था एक सपना,
घर की याद सताती मुझको,
हर दिन नया बताती मुझको,
क्या तुमसे वो बात कहूँ।

कितना सच्चा कितना झूठा,
उसके मन का है यह चिट्ठा,
इसे निभाऊँ उम्र सदा मैं,
क्या उसकी मैं बात कहूँ।

अपने घर को छोड़ जो आया,
माँ के ममता की वो छाया,
इस बीराने से जीवन में,
क्या तुमसे एक बात कहूँ।

एक प्यारा भोला-सा साथी,
विश्वासों की डोर बताती,
वो मुझको सच्चा बतलाती,
क्या उसकी मै बात कहूँ।

उसके साथ बीताए कुछ पल,
उसके बिना गंवाए कुछ पल,
उसका मन मानो निर्मल जल,
उसकी ही मै बात कहूँ-2 ।

दिनेश कुमार सिन्हा,
कर सहायक,
आयकर भवन, जम्मू

एन.एच.पी.सी. जल विद्युत उत्पादन

मिनी रत्न विभूषित सार्वजनिक क्षेत्र-1 के अग्रणी एनएचपीसी लिमिटेड पूर्वनाम नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) की स्थापना वर्ष 1975 में हुई। 15000 करोड़ रूपए की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी तथा लगभग 36520 करोड़ के निवेश आधार के साथ यह देश में जल विद्युत विकास का एक अग्रणी संगठन है। इस संगठन का मुख्य व्यवसाय जल विद्युत क्षमता का विकास और विद्युत उत्पादन है। इसके अतिरिक्त एनएचपीसी राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण एवं रख-रखाव पर्यावरण संरक्षण, प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक एवं सामाजिक विकास व बहुविद्य (मल्टीडिस्पलिनरी) संगठन है।

एनएचपीसी द्वारा 5295 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाले 14 परियोजनााएं का निर्माण पूरा हो चुका है और 4622 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली 11 परियोजनाएं निष्पादनाधीन हैं।

एनएचपीसी पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत परियोजनाओं पर स्वैच्छिक वनरोपण कार्य जिसके तहत 93 लाख से भी अधिक पेड़ लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पावर स्टेशन पर हर्बल पार्क भी बनाए गए है। प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक एवं सामाजिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण, बुनियादी विकास, सड़कें, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान एवं सुविधाएं, जल आपूर्ति इत्यादि तथा माडल स्कूलों का सृजन करना शामिल है।

इसका सफ़र अनेक चुनौतिओं से परिपूर्ण है। पिछले 34 वर्षों से यह हिमालय क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए विभिन्न भूमिगत निर्माण कार्यों से जुटा रहा, जो बहुत ही जटिल और चुनौतिपूर्ण है। भूमि के दबने व चटानों के गिरने से संबंधित ज्वलनशील गैसे के निकलने व आतंकवाद आदि की समस्याएं अक्सर आकस्मिक होती हैं। इन कार्यों में लगे लोगों के अनुभव ने एनएचपीसी को इन मुश्किल परिस्थितियों/चुनौतियों से निपटने के लिए समक्ष बनाया है। एनएचपीसी का मुख्यालय फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित है। जिसका नेतृत्व, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा किया जाता है।

कार्य को अधिक पारदर्शी व शीघ्रता प्रदान करने के लिए परियोजनाओं और स्टेशनों को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्र-1 के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर में स्थित 4 परियोजनाएं जिनमें निम्मो-बाजगो (लेह-लद्दाख), चुटक (कारगिल), उड़ी-।।, किशनगंगा हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में बगलिहार पावर स्टेशन का रख-रखाव के साथ पकलदुल, कीरू और क्वाड़ परियोजनाएं ज्वाइंट वैन्चर होना तय हुआ है जिनकी क्षमता 2120 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त 3 पावर स्टेशन-सलाल, दुलहस्ती, उड़ी-।, सेवा-।। द्वारा फरवरी, 2010 के अंत तक 7351 मैगावाट विद्युत उत्पादन किया गया है।

एनएचपीसी मानव संसाधन के माध्यम से संगठन की उत्कृष्टता को प्राप्त करने में अपना अटूट विश्वास रखती है। अपनी कार्य योजना को पूरा करने के लिए मानव शक्ति के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए अपने लगभग 12 हजार कर्मचारियों में विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण, प्रबंधन एवं तकनीकी कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से आंतरिक एवं वाह्य प्रशिक्षणों का आयोजन समय-समय पर करती रहती है।

एनएचपीसी अपनी समग्र चेतना एवं प्रतिबद्धताओं के साथ चहुँमुखी विकास से जुड़ी हुई संस्था होने पर भी दूसरी ओर यह भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत है क्षेत्र-। में राजभाषा को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम 10(4) के तहत वर्ष 2003 से अधिसूचित है। यहां शत-प्रतिशत कार्मिक हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। धारा 3(3) का पूर्णतया अनुपालन किया जाता है कि कार्यशालाएं व तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। त्रैमासिक पत्रिका के साथ-साथ वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर भी द्विभाषी जारी किया जाता है। पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा इसमें और भी अधिक प्रगति हो रही है। सभी फार्म, बैनर, नामपट्ट आदि द्विभाषी है। क्षेत्र-। में सभी उच्चाधिकारी राजभाषा के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र-। कार्यालय, जम्मू को राजभाषा में सराहनीय कार्य करने के लिए विभिन्न मंचों द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है।

उमा कौल
प्रशासनिक अधिकारी,
क्षेत्र-।, कार्यालय, एन.एच.पी.सी.लिमिटेड, जम्मू

संघ की राजभाषा के सन्दर्भ में घटनाक्रम

दिनांक	घटनाक्रम
14.9.1949	संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को अब हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
26.1.1950	संविधान लागू हुआ। तदनुसार उसमें किए गए भाषाई प्रावधान (अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351) लागू हुए।
1952	शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण ऐच्छिक तौर पर प्रारम्भ किया गया।
27.5.1952	राज्यों/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग प्राधिकृत किया गया।
जूलाई, 1955	हिन्दी शिक्षण योजना की स्थाना। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सबंद्ध व अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण।
7.6.1955	बी.जी.खेर आयोग का गठन (संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अन्तर्गत) ।
अक्टूबर, 1955	गृह मंत्रालय के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण योजना प्रारम्भ की गई।
3.12.1955	संविधान के अनुच्छेद 343(2) के परन्तुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का प्रयोग किए जाने के आदेश जारी किए गए।
31.7.1956	खेर आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई ।
1957	खेर आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन।
8.2.1959	संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अन्तर्गत संसदीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई।
सितम्बर, 1959	संसदीय समिति की रिपोर्ट पर संसद में बहस। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा आश्वासन दिया गया कि अंग्रेजी को सह-भाषा के रूप में प्रयोग में लाए जाने हेतु कोई व्यावधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा और न ही इसके लिए कोई समय-सीमा ही निर्धारित की जाएगी। भारत की सभी भाषाएं समान रूप से आदणीय हैं और ये हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं।
1960	हिन्दी, हिन्दी आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण आरम्भ किया गया।
27.4.1960	संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए जिनमें हिन्दी शब्दावलियों का निर्माण, संहिताओं व कार्यविधिक साहित्य का हिन्दी अनुवाद, कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी प्रचार, विधेयकों की भाषा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा आदि मुद्दे हैं।

10.5.1963 अनुच्छेद 343(3) के प्रावधान व श्री जवाहर लाल नेहरू के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह-राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई।

5.9.1967 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया। यह समिति सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निदेश देने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति में प्रधानमंत्री जी के अलावा नामित केन्द्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद तथा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान सदस्य के रूप में शामिल किए जाते है।

16.12.1967 संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प पारित किया गया जिसमें हिन्दी के राजकीय प्रयोजनों हेतु उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने, प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने, हिन्दी के साथ-साथ 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने, त्रिभाष सूत्र का अपनाये जाने, संघ सेवाओं के लिए भर्ती के समय हिन्दी व अंग्रेजी में से किसी एक के ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित होने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समय पर परीक्षा के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की बात कही गई। (संकल्प 18.8.1968 को प्रकाशित हुआ)

1967 सिंधी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई ।

8.1.1968 राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन किए गए। तद्नुसार धारा 3(4) में यह प्रावधान किया गया कि हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण संघ सरकार के कर्मचारी प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें तथा केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है, उनका कोई अहित न हो । धारा 3(5) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए आवश्यक है कि सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा (जिनकी राजभाषा हिन्दी नहीं है) ऐसे संकल्प पारित किए जाएं तथा उन संकल्पों पर विचार करने के पश्चात अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए संसद के हरेक सदन द्वारा संकल्प पारित किया जाए।

1968 राजभाषा संकल्प 1968 में किए गए प्रावधान के अनुसार 1968-69 से राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए विभिन्न मदों के लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इसके लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया ।

1.3.1971 केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन ।

1973 केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के दिल्ली स्थिति मुख्यालय में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना ।

1974 तीसरी क्षेणी के नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभावित कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए हिन्दी भाषा, टंकण एवं आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण ।

संरक्षण की आवश्यकता

देश की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर हमारे वैभवशाली अतीत की साथी है इतिहास के विभिन्न कालों में सामाजिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास के धोतक ये ऐतिहासिक भवन तथा स्मारक देश के अनेक स्थानों पर स्थित है। इनके निर्माण में विभिन्न प्रकार की भवन निर्माण सामग्रियां प्रयोग की गयी है। विभिन्न भागों एवं जलवायु में निर्मित एवं दफन सांस्कृतिक विरासत के अन्तर्वस्तु तथा स्वरूप में बहुत विविधता है। जिनमें शैल आश्रय, प्रस्तर, गुफाऐं, पत्थर की संगीन चिकनाई से तराशे स्मारक, मंदिर, किले, मुगल स्थापत्य कला के राजसी भवन, कच्ची मिट्टी से निर्मित बौद्ध मठ इत्यादि शामिल है। इन खूबसूरत स्मारकों को नुकसान से बचाने के लिए वैज्ञानिक विधि द्वारा संरक्षण किया जाना जरूरी है।

संरक्षण की आचार नीति

संरक्षण का उद्देश्य सांस्कृतिक संपदा को अधिकाधिक समय तक संरक्षित रखना तथा यदि सम्भव हो तो प्रमाणिकता की हानि के बिना उसके ऐतिहासिक संदेश को स्पष्ट करना है। स्मारकों का संरक्षण एक सांस्कृतिक एवं कलात्मक शिल्प कार्य है। एक सफल संरक्षक के पास सामुदायिक आवश्यकताओं की समझ के साथ सांस्कृतिक चेतना, समर्पण, उचित प्रशिक्षण, दृढ़ विवेक तथा संतुलन भाव पर आधारित कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए।

सांस्कृतिक विविधता के आधार पर हमारी विरासत का सफल संरक्षण हेतु विभिन्न विषयों में दक्ष लोगों की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसी आधार पर संगठित किया गया है तभी हमारी वैभवशाली विरासत को बचाकर रखने में सफल रहा है। साथ ही नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, अंगोला, कम्बोडिया आदि देशों को संरक्षण के क्षेत्र में सहायता उपलब्ध कराने का सम्मान प्राप्त है।

श्रीनगर मण्डल - परिचय

वर्ष 1958 में भारत सरकार ने राज्य में स्थित उन प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को जम्मू तथा कश्मीर राज्य से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वास्तविक अंतरण के लिए स्वीकृति दी जिन्हें राज्य की धारा सभा द्वारा पारित संकल्प के प्रत्युत्तर में उनके बेहतर अनुरक्षण तथा रख-रखाव के लिए राष्ट्रीय महत्व का माना गया था। जून 1958 में जम्मू तथा कश्मीर राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का फ्रंटियर सर्किल के नाम से कार्यालय खोला गया। उसका मुख्यालय श्रीनगर में रखा गया। फ्रंटियर सर्किल बाद में श्रीनगर सर्किल के नाम से जाना गया।

वर्ष 1959-60 में राज्य पुरातत्व विभाग से स्मारकों को अपने अधिकार में लेने के उपरान्त पुरातत्वीय गतिविधियों का एक नया युग प्रारम्भ हुआ। श्रीनगर मण्डल तब से अन्वेषण, उत्खनन, अनुसंधान, स्मारकों का संरक्षण तथा परिरक्षण कार्य सफलतापूर्वक करता आ रहा है। श्रीनगर मण्डल जम्मू तथा कश्मीर राज्य के तीन क्षेत्रों (जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख) में स्थित 69 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण का उत्तरदायित्व है। 69 स्मारकों में 13 स्मारक लद्दाख क्षेत्र में, 15 स्मारक जम्मू क्षेत्र में तथा कश्मीर क्षेत्र के अन्तर्गत सबसे अधिक 41 स्मारक आते हैं।

रा. कृष्णाय्या
अधीक्षण पुरातत्वविद्
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, श्रीनगर मण्डल, जम्मू

वाई.के.कनोत्रा
उप अधीक्षण पुरातत्व रसायन

अनुसंधान एवं विकास संगठनों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग

किसी राष्ट्र की राजभाषा राष्ट्रीय चेतना, संस्कृति परम्पराओं, मान्यताओं की संवाहिका तथा जनता के आपसी संपर्क की सबसे सशक्त माध्यम होती है। किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास में विशेषत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति का विशेष स्थान होता है। यह एक निर्विवादसत्य है कि देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में हो री अनुसंधान कार्यो के लिए मौलिक चिन्तन आवश्यक होता है और हम मौलिक चिन्तन अपनी भाषाओं के माध्यम से सहजता से कर सकते हैं। इसका समग्र रूप से सर्वाधिक लाभ देश के जन-जन तक पहुँचाने के लिए भी आवश्यक है कि हम अपनी स्वदेशी भाषाओं में विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे विषय, विज्ञापन, आधुनिक खाद्य उत्पादों व देश में अन्य उत्पादों के लेवल आदि को अपनी भाषाओं के माध्यम बनाएं।

लिपि-लेप धातु से बना है। पहले दिवालों को मिट्टी आदि से लीपकर उस पर कुछ लिखा जाता था इस प्रकार लिपियों का अविष्कार तेजी से हुआ। इस लिपि को ब्रह्मी लिपि कहा गया। इस ब्रह्मी लिपि की दो शाखाएं विकसित हुई: (1) उत्तर शाखा (2) दक्षिण शाखा ।

उत्तर शाखा के क्रमिक विकास के अन्तर्गत क्रमश: गुप्त लिपि, शारदा लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है।

दक्षिण शाखा से तमिल, तेलगु, कन्नड, मलयालम आदि दक्षिण की भाषाओं की लिपियों का विकास माना जाता है। ब्रह्मी लिपि की उत्तरी शाखा की नागरी लिपि ने उत्तर से शुरू कर पूर्व दिशा तक में अपनी जगह बना ली। मध्य देश में खड़ी बोली, अवधी, ब्रज आदि तो बिहार (मैथिली, भोजपुरी, मैथिली) से आगे चलकर बंगला में नागरी लिपि में असमिया लिखी जाती है। उधर मध्य प्रदेश देश में नागरी लिपि देवनागरी के रूप में प्रतिष्ठित हो गयी। देवनागरी लिपि पर भारत की लिपियों का ही नहीं बल्कि फारसी व रोमन जैसी विजातीय लिपियों का प्रभाव स्पष्ट है। फारसी, रोमन लिपियों की अपेक्षा पूर्ति के लिए देवनागरी लिपि में नए लिपि चिह्नों को भी स्वीकार किया है। जबकि रोमन लिपि में विश्व लिपि बनने की क्षमता कदापि नहीं है। क्योंकि सम्पूर्ण ध्वनियां रोमन लिपि में नहीं है। विनोवा भावे ने तो स्पष्ट कहा था, ''कि रोमन लिपि इंग्लिश भाषा के लिए भी अत्यंत खराब है लिपि में बिल्कुल अराजकता चलती है जैसे- बी.यू.टी-बट, पी.यू.टी-पुट । उच्चारण राइट का राइट ही है जबकि अर्थ की भिन्नता है, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और सरलता को देखते हुए पड़ोसी देश भी इस लिपि का प्रयोग कर रहे हैं।''

आज अमेरिका और यूरोप आदि ने कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास में जो शोध कार्य हो रहे हैं, उनमें भी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता ने विशेषज्ञों का ध्यान कम्प्यूटर आदि के सॉफ्टवेयर निर्माण में सहयोग किया है। इस लिपि की उपयुक्तता का लेकर डॉ. रिंग ब्रिग्स हूस्टन और डॉ. डेविड लेविन आदि विद्वानों ने अपने आलेखों में व्यापक रूप में लिखा है कि समस्त विश्व को एक सूत्र में तथा पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए रोमन सहित (देवनागरी को छोड़कर) अन्य कोई भी लिपि कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनकी अपूर्णता और अवैज्ञानिकता स्वत: स्पष्ट है। परिणामत: देवनागरी लिपि के माध्यम से चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं को आसानी से आत्मसात किया जा सकता है।

हिन्दी को ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाना होगा। हिन्दी माध्यम से विज्ञान पढ़े लोगों की वृद्धि होगी जिससे वैज्ञानिक साहित्य के सृजन की वृद्धि होगी इस दिशा में विशेषकर हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में स्वयं सेवी भाषाएं बहुत

अच्छा कार्य कर रही हैं। उनको प्रोत्साहित करना होगा। यदि इन्हें तकनीकी शोध संस्थानों का मार्गदर्शन मिले तो वे हिन्दी विकास में उपयुक्त साबित हो सकती हैं।

विदेशों में भी ऐसे केन्द्र बनाए जाएं व ब्रिटिश कौंसिल लाइब्रेरी की तर्ज पर उन 137 देशों में जहां हिन्दी पढ़ाई जाती है वहां ग्रंथालय व वाचनालय खोले जाएं।

नये और उपयोगी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पुरस्कार स्थापित किए जाएं। यह भी बताया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पलसन, आर.केल आइवीएम जैसे विदेशी संस्थान हिन्दी में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हमें उनसे आगे बढ़ना है। इन कम्पनियों ने यूनिकोड व्यवस्था बनाई है। यूनिकोड फोंट के इस्तेमाल द्वारा इनके खुलने में कोई समस्या नहीं आती है और सभी जगह एक ही फॉट में काम करना आसान हो जाएगा यूनिकोड में 7000 से ज्यादा संकेत हैं। जबकि देवनागरी के हिस्से में लगभग 600 केरेक्टर आते हैं। माक्रोसॉफ्ट द्वारा हिन्दी में वैज्ञानिक विकास को चुनौती स्वीकार किया गया है। अब सभी भारतीय भाषाओं के लिए अलग इंटरफेस विकसित कर उन्हें इंटरनेट के लिए यूनिकोड प्लेटफार्म कर लेना होगा इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को आपसी तालमेल बिठाना होगा और भाषा के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास संगठनों में अनुकूलन वातावरण बनाना होगा – तभी हिन्दी भाषा के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच सकेगा।
तकनीकी शोध संस्थानों में उच्च कोटि की पुस्तकों के अनुवादकों की उपलब्धता पर पैनी नजर रखी जाए चिकित्सा, कृषि, प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान पत्रिकाओं में अनुवाद कार्य बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रबुद्ध वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों/अनुवादकों का पैनल तैयार कर उन्हें अंग्रेजी एवं विभिन्न भाषाओं के अनुवाद कार्य विनिदृष्टि करें। इस तरह से विश्व साहित्य की अनुमोल निधियां मूल भाषा से अनुदित होकर हिन्दी को समृद्ध एवं सम्पन्न बनाएंगी। जबकि हमारे पास साधनों की कमी नहीं है पर योजनाओं के अभाव के कारण हम लक्ष्य तक पहुँच पाते ।
हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए शासकीय व अशासकीय तौर पर दबाव बनाया जाए क्योंकि हिन्दी अब देश-विदेश के 100 करोड़ लोगों की भाषा बन गयी है। जबकि वह चीनी भाषा से भी वरीयता रखती है। यह तथ्य हॉल ही में डॉ. नौटियाल के शोध से सामने आया है, जो अभी 90 करोड़ लोगों की भाषा है। शिक्षण कला है और इसमें यदि प्रेम और प्रतिबद्धता जुड़ जाती है तो यह हिन्दी के विकास में गति देने में पूर्णत: सक्षम हो सकती है। हिन्दी शिक्षण व्यवस्था को मजबूत बना कर हिन्दी के विकास को दिशा दी जा सकती है। जनमानस की हिन्दी बनाने के लिए पाठ्यक्रमों में परिवर्तन के साथ नई दृष्टि रखनी होगी। नए उपकरण नई प्रतिक्रियाओं को अपनाना होगा।

अनुसंधान एवं विकास संगठनों में हिन्दी:-

हिन्दी का अभी तक की यात्रा में मात्र परम्परागत साधनों का ही उपयोग हुआ है। इन प्रतिष्ठानों में पूर्णत: हिन्दी को विकसित करना है, तो प्रौद्योगिकी से जुड़ना आवश्यक है। यदि सामान्य जन को विकास की मुख्य धारा में लाना है तो अनुसंधान को विकास करने के साथ-साथ हिन्दी माध्यम से ही जनसामान्य तक पहुँचा जा सकता है। इसके लिए प्रान्तीय भाषाएं एवं राजभाषा हिन्दी ही एकमात्र सामग्री अंग्रेजी में ही उपलब्ध है।

माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम एक्सपी में आटोकरेक्ट की सुविधा की गयी है। टैक्स्ट टू स्पीच सुविधा उपलब्ध है। कई जबह सी डेक के सहयोग से स्पीच टू टैक्स्ट अभी हिन्दी में सुलभ हुई है। 'श्रुतलेखन राजभाषा' नामक सॉफ्टवेयर को विकसित कर उसका लाभ उठाया जा सकता है।

गावों की ओर चलो यह बात अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो गयी है। इसी को देखते हुए इफको द्वारा तैयार किए जाए जा रहे। ग्रामीण पोर्टल द्वारा विभिन्न स्थानों पर साइबर ढावे खोले जाने की योजना है जिसमें किसानों के लाभार्थ कृषि संबंधी सूचनाएं उनकी भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। हिन्दी में लगभग 250 वेबसाइट है लेकिन इनके प्रशिक्षण एवं सम्पर्क सूत्र के अभाव में द्विभाषिकता की सुविधा वाले डाटा जैसे पैकेज और उन्नत मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है। मीडिया, प्रिन्टमीडिया एवं इलैक्ट्रॉनिक ने हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने में आज के दौर में अहम् भूमिका निभाई है। आई.टी. के माध्यम से हिन्दी को प्रयोजन मूलक बनाने में मीडिया भारत में ही नहीं विश्व में सर्वोत्तम साबित हुआ है। यह पुस्तकीय हिन्दी से ज्यादा व्यवहारिक प्रयोग वाली हिन्दी श्रव्यदृश्य माध्यमों से विकसित हुई है। इंटरनेट, कम्प्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग करना होगा और इन माध्यमों को विकास के लिए गंभीरता से लेना होगा। इनकी सहायता से लोगों तक बहुत सस्ते में पहुँचा जा सकता है। आवश्यकता है कि सरकार, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को आई.टी. को और दुरस्त बनाना होगा। इंटरनेट पर हिन्दी के तीव्र विकास ने कई सम्भावनाओं को जन्म दिया है।

हिन्दी के माध्यम से वैज्ञानिक संगोष्ठियां:-

हिन्दी माध्यम से वैज्ञानिक संगोष्ठियों के आयोजन से हमारे युवा वैज्ञानिक/कार्मिकों को वैज्ञानिक/तकनीकी अवधारणाओं को समझने में दो भाषाओं के व्यतिरेक (कान्ट्रास्ट) उन तथ्यों को सुलझााने में आत्म साथ करने में सहायता मिलती है क्योंकि भाषा सम्प्रेषण का माध्यम है और किसी भी तथ्य को समझने में भाषाई सम्प्रेषण अहम् बिन्दु है। आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रत्येक में संकल्प जागृत करें, साथ ही यह भी विचार करें कि संकल्प कितना पूरा हुआ है। तभी हिन्दी के प्रति उत्साह जागृत होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को अधिकाधिक भाषा बनाने के प्रयासों की पहल करनी होगी ताकि हिन्दी भाषा विज्ञान एवं नये क्षेत्रों में प्रयोग व विकास सम्भव हो सके, जबकि हिन्दी आधुनिक ज्ञान की भाषा के रूप में तेजी से उभर रही है जो अपने अन्दर विज्ञान प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों को समेटे हुए हैं। हिन्दी पीठों का निर्माण करना होगा हिन्दी शोध के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करने की आवश्यक है। हिन्दी में प्रचार-प्रसार के लिए नए मार्ग खोलने होंगे। ताकि तालमेल व निरन्तर पारस्परिक आदान-प्रदान से भाषा की प्रगति में सहयोग मिल सके। हिन्दी के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी सबसे अच्छा माध्यम है। हिन्दी के ऑनलाइन शब्दकोश एवं विश्वकोश के साथ-साथ अन्य भाषाओं के हिन्दी पुस्तकों को इलैक्ट्रॉनिक तथा सीडी माध्यम से न्यूनतम से न्यूनतम मूल्यों पर उपलब्ध कराना होगा हिन्दी सुविज्ञ साहित्यकारों, भाषाविदों को विश्व हिन्दी बेवसाइट के माध्यम से सम्पर्क कर हिन्दी के प्रयोग, प्रयोजन मूलक, अनुप्रयुक्त विश्व स्तरीय प्रयास करने होंगे।

चूंकि आधुनिक युग विज्ञान का है और हिन्दी भाषा भी विज्ञान की भाषा बनती जा रही है यदि हम संविधान सम्मत बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में आज 22 भाषाएं है उनमें हिन्दी भाषा ही एक मात्र सुदृढ़ एवं ग्राह्य सरकारी कामकाज की कार्यालय की भाषा है जो आज लगभग 14 प्रान्तों की राजभाषा है अर्थात् इन प्रदेशों के राज्यों का कामकाज इसी में सम्पन्न होता है राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए हिन्दी में वे सभी गुण है। जो किसी अन्य भाषा में नहीं हैं साथ ही जनभाषा, राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा, राजभाषा भी हैं।

समस्त भारतीय भाषाओं के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए भारत में कम्प्यूटर आधारित उच्चतम तकनीकी साधन विकसित किए जाए जबकि इन साधनों को विदेशी संस्थाएं विकसित नहीं कर सकती। क्योंकि बाहर लोग हमारी भाषाओं और संस्कृति से अच्छी तरह परिचित नहीं है। भाषा के मूल स्वभाव को अच्छी तरह उभारने के लिए हमारे यहाँ के विद्वानों और प्रबुद्ध वैज्ञानिकों को ही हम इस कार्य में जुटाना होगा।

हमारा लक्ष्य अंग्रेजी को हटाना नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं के रूप में है जो वैज्ञानिक/तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक कागजातों में हावी है और आगे भी रहेगा, जबकि भारतीय भाषाएं मात्र क्षेत्रीय स्तर पर सांस्कृतिक क्षेत्र में पनप सकती है, अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति बोली, क्षेत्रीय बोली से प्रभावित और क्षेत्रीय बोली व्यक्ति बोली पर प्रभाव छोड़ती है जिससे उच्चारण प्रक्रिया से हिन्दी अंग्रेजी के धारा प्रवाह में अन्तर स्वत: प्रदर्शित होता है।

एलटीएम के कार्य क्षेत्र:-

एल.टी.एम. का लक्ष्य है कि प्रत्येक माध्यम में भाषा के रूप, संरचना को प्रदर्शित करना है, जिससे लोगों को अनुभव हो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयास किए जाएं कि शब्द के विविध रूप प्रदर्शित हों।

1. मुद्रित शब्द
   1. सांस्कृतिक ग्रन्थ
   2. समाचार पत्र
   3. विज्ञापन और प्रकाशन
   4. पत्र और प्रपत्र
   5. साइनबोर्ड और सड़कों पर लगी होर्डिंग

2. प्रदर्शित शब्द
   1. सार्वजनिक लीड डिस्पले बोर्ड
   2. टी.वी. पर कैप्शन डिस्पले
   3. प्रिन्टर के जरिए अखवार पढ़ना
   4. सिनेमा फिल्मों और वीडियों कार्यक्रम के शीर्षक पढ़ना

3. उच्चारण शब्द फिल्मों और वीडियों कार्यक्रम की डबिंग
   - वीडियों कार्यक्रम की भाषा चयन
   - वाणी उद्घोषण संयंत्र

4. संचारित शब्द
   - स्क्रिप्ट की बोर्ड
   - इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर
   - आबी एम-पी.सी. को बहुभाषी बनाने के साधन
   - बहुभाषी कम्प्यूटर टर्मिनल
   - डॉट मैट्रिक्स प्रिन्टर
   - ग्राफिक्स आधारित सॉफ्टवेयर
   - टेलेक्स टेलीप्रिन्टर एवं फैक्स
   - बहुभाषी इलैक्ट्रॉनिक मेल
   - प्रेक्षेपित जानकारी ग्राह्य यंत्र

5. लर्निंग शब्द
   - बच्चों के लिए उपयुक्त सामग्री
   - दूसरे भाषा जानकारों को सिखाने की सामग्री
   - भाषा सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर

6. उपयुक्त शब्द
   - भाषा की विस्तृत शब्द सूची और स्पेलिंग
   - पर्याप्त और संबंधित शब्द

[illegible]

...अरबी-फारसी के शब्द है।

...अंग्रेजी भाषा के आगत शब्द है।

...नम्बर पर संकर शब्द है, जैसे- रेल-गाड़ी, रेल-गाड़ी।

...चवें नम्बर पर पारिभाषिक शब्द है, जैसे- कम्प्यूटर इंटरनेट, ई-मेल आदि।

निष्कर्ष रूप से अनुसंधान एवं विकास संगठनों में यदि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना है तो ...वश्यक रूप से विशेषतः देवनागरी लिपि में लेखन की परम्परा कायम रखनी होगी। यह भी सत्य है कि भारतीय ...बसे अच्छा लिखते है सबसे अच्छा पढ़ते है और सबसे अच्छा सुनते है। जबकि अन्य देशों की तुलना में भारतीय ...ॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, मेडिकल लिप्यांतरण में सबसे श्रेष्ठ हैं। वही बिलगेट्स ने सॉफ्टवेयर निर्माण की ...या भारत में ही प्रारम्भ क्यों की ? जबकि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माण संबंधी कार्यालय कनाड, बैगलूर में ...ए जिनमें 80 प्रतिशत भारतीय हैं क्योंकि कम्प्यूटर की खपत और भाषा के अच्छे विद्वान भारत से बेहतर कोई ... नहीं है। यह सब यहां की भाषाई विविधता का कारण हो सकता है या फिर श्रेष्ठतम भाषाविद्, शिक्षाविद्, प्रौद्योगिकीविद्, आई.आई.टी. प्रमुख संस्थानो के प्रशिक्षित इंजीनियर उच्च वेतनमान पर आसानी से भारत में उपलब्ध हो जाते हैं।

डॉ.अमर सिंह

वरि. हिन्दी अधिकारी

भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू।

से संस्कृत हिन्दी के प्रभाव से 'हिन्दुस्तानी' स्वरूप सामने आया, मुगलकाल के बाद अंग्रेजी शासन भारतवर्ष में रहा इस दौरान अंग्रेजी शब्दों की भरमार हुई और यह भाषा यहां के शासन-प्रशासन की भाषा ही नहीं आज विज्ञान की तकनीकी भाषा के रूप में प्रयोग हो रही है यदि विचार किया जाए तो मात्र अंग्रेजी ही एक भाषा इसमें भी अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द ग्रीक मूलीय, लैटिन मूलीय, इऐलियन मूलीय, फ्रेंच मूलीय, जर्मन मूलीय अन्य भाषाओं के शब्द अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आए और वे हिन्दी भाषा में रच-बस गये जो आज हिन्दी भाषा से अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं और वे हिन्दी भाषा के मूल शब्द हैं:-

1. ग्रीक मूलीय:- टिकट, ट्रंक, ड्राइवर, स्कूल, सिनेमा, स्टोनोग्राफर आदि ।
2. लैटिन मूलीय:- आफिस, सेक्शन, सील, अपील, सैशन, सम्मन, एडहॉक आदि।
3. इटैलियन मूलीय:- मलेरिया, गजेट, पोस्ट आदि ।
4. फ्रेंच मूलीय:- बैंक, बटालियन, आर्मी, कन्ट्रोल, डिनर बिस्कुट, हॉस्पिटल, प्लेटफार्म आदि।
5. जर्मन मूलीय:- होम्योपैथी आदि ।

अत: भारत सरकार द्वारा हिन्दी में प्रयुक्त प्रशासन शब्दावली के भाषाई स्रोत पांच हैं:-

1. प्रशासन में सर्वाधिक शब्द संस्कृत भाषा के हैं।
2. दूसरे स्थान पर अरबी-फारसी के शब्द हैं।
3. तीसरे स्थान पर अंग्रेजी भाषा के आगत शब्द हैं।
4. चौथे नम्बर पर शंकर शब्द हैं, जैसे- बैल-गाड़ी, रेल-गाड़ी ।
5. पाँचवें नम्बर पर पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे- कम्प्यूटर इंटरनेट, ई-मेल आदि ।

निष्कर्ष रूप से अनुसंधान एवं विकास संगठनों में यदि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना है तो आवश्यक रूप से विशेषत: देवनागरी लिपि में लेखन की परम्परा कायम रखनी होगी। यह भी सत्य है कि भारतीय सबसे अच्छा लिखते हैं सबसे अच्छा पढ़ते हैं और सबसे अच्छा सुनते है। जबकि अन्य देशों की तुलना में भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, मेडिकल लिप्यांतरण में सबसे श्रेष्ठ है। वहीं बिलगेट्स ने सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया भारत में ही प्रारम्भ क्यों की ? जबकि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माण संबंधी कार्यालय कनाड, बैगलूर में बनाए जिनमें 80 प्रतिशत भारतीय हैं क्योंकि कम्प्यूटर की खपत और भाषा के अच्छे विद्वान भारत से बेहतर कोई देश नहीं है। यह सब यहां की भाषाई विविधता का कारण हो सकता है या फिर श्रेष्ठतम भाषाविद्, शिक्षाविद्, प्रौद्योगिकीविद्, आई.आई.टी. प्रमुख संस्थानों के प्रशिक्षित इंजीनियर उच्च वेतनमान पर आसानी से भारत में उपलब्ध हो जाते हैं।

डॉ.अमर सिंह

वरि. हिन्दी अधिकारी

भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू।

कार्यालय में दैनिक प्रयोग की टिप्पणियां

डॉ. अमर सिंह, वरि. हिन्दी अधिकारी एवं सचिव, नराकास

मामले का सारांश नीचे रखा है	A summary of the case is placed below.
ऊपर 'क' के अनुसार कार्रवाई की जाए	Action at 'A' above.
यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए	Action may be taken as proposed.
प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए	Administration approval may be obtained.
अनुरोध है इस संबंध में शीघ्र उत्तर देने की कृपा प्रदान करें।	An early reply is requested in this matter.
हाशिए की अभ्युक्ति के अनुसार अनुमोदित	Approved as per remarks in the margin.
यथा प्रस्तावित अनुमोदित ।	Approved as proposed.
आगे और रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें	Await further report.
आगे भर्ती पर रोक	Ban on further recruitment.
उक्त अवधि क बाद	Beyond the said period.
किसी भी हालत में... से ज्यादा नहीं।	But not exceeding.....in any case.
आवेदित आकस्मिक छुट्टी दे दी जाए।	Casual leave applied for may be granted.
स्वस्थ होने का प्रमाण-पत्र	Certificate of fitness.
सक्षम प्राधिकारी	Competent authority.
तुरन्त संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है।	Copy enclosed for ready reference.
प्रतिलिपि सूचना/आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को प्रेषित	Copy forwarded for information/necessary action to,
फाइल को लौटाने में हुई देरी के लिए खेद है।	Delay in returning the file is regretted.
अंतिम वेतन प्रमाण पत्र	Last pay certificate.
विभागीय जाँच	Departmental Enquiry.
आवश्यक कार्रवाई करें।	Do the needful.
अनुमोदन के लिए मसौदा	Draft for approval.
मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।	Draft is put up for approval.
...को कुई बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।	Draft to the minutes of the meeting held on.... is submitted for approval.
मामले की जांच करें और शीघ्र रिपोर्ट दें।	Enquiry into the case and report early.
वित्त पक्ष कृपया सहमति के लिए देख लें।	Finance wing may please see for concurrence.
राय देने के लिए/मत प्रकट करने के लिए	For expression of opinion.
हस्ताक्षरार्थ/हस्ताक्षर के लिए	For signature.
मुझे आपके पत्र सं....दिनांक....के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि	I am directed to refer your letter No...dated....and to say that
कृपया फाइल शीघ्र वापस करें।	Return of the file may be expedited.
इस समय स्थगित रखें।	Postpone for the present.
....को यह मामला भेजा जाए।	Matter may be referred to...........
फाइल कर दें।	May be filed.
कार्यालय इसे सावधानी से नोट कर लें।	Office may note it carefully.
इस सम्बन्ध में मुझे कहना है।	In this connection I have to state.
इसकी प्राप्ति सूचना भेजिए।	Please send the acknowledgement.
यह निर्णय (तय) किया गया है।	It has been decided.
प्रशासन अनुभाग ने देख लिया।	Seen in Admn. Section
पत्र सं....... देखिए।	Vide letter No. ....

स्वाभिमान

मेहनत मेरा उद्देश्य है, स्वाभिमान मेरी पहचान है।
न तो मैं कमज़ोर हूँ और न ही अबला नारी हूँ
कई चुनौतियों और मुश्किलों से लड़ते न आज तक मैं हारी हूँ
क्योंकि मेरा आत्मविश्वास और विवेक ही मेरी चट्टान है
मेहनत मेरा उद्देश्य है, स्वाभिमान मेरी पहचान है।

क्यों हम मेहनत से हैं डरते, भाग-भाग कर है इससे बचते
यह लाचारी और कमज़ोरी हमें यूँ ही खा जाएगी
जब भुखमरी और ग़रीबी हमारे द्वार आ जाएगी
यह मज़बूत इरादा नहीं, यह कमज़ोर की पहचान है
मेहनत मेरा उद्देश्य है, स्वाभिमान मेरी पहचान है।

कोई काम छोटा नहीं, फर्क स्वयं हम हैं करते
हाथ पर हाथ धरे बस यूँ ही है आहें भरते
किस्मत खुद मज़बूत इन्सान के पास आती है
मेहनत मज़दूरी करने से फिर शर्म हमें क्यों आती है
शर्म से कर लो तौबा, बन जाओ तुम मज़बूत चट्टान है
मेहनत मेरा उद्देश्य है, स्वाभिमान मेरी पहचान है।

मैं तो एक बूढ़ी माँ हूँ, और एक नारी भी हूँ
अपने बुढ़ापे की स्वयं मैं अभारी भी हूँ
किसी के आगे हाथ फैलाना मेरा इरादा नहीं
किसी को अपनी निर्बलता बताना मेरा इरादा नहीं
मेरे भी दूसरों ही तरह मन में कई अरमान हैं
मेहनत मेरा उद्देश्य है, स्वाभिमान मेरी पहचान है।

आज मैं फल बेचने आई, ग्राहक अब तक न कोई देता दिखाई
मैं व्याकुल भर भी नहीं हूँ, मेरे चेहरे पर मुस्कान है छाई
औरत हूँ तो क्या किसी पुरुष से कम नहीं
आज अकेली चौराहे पर बैठी मगर कोई ग़म नहीं
मेरे पास है काम अपना और अपनी ही पहचान है
मेहनत मेरा उद्देश्य है, स्वाभिमान मेरी पहचान है।

जैसे मेरे फल हैं मीठे वैसे ही तुम बनो
कठोर और खट्टे होने से तुम हर बार डरो
कोमल बन जाओगे तो ही इन्सान कहलाओगे
अपनी अकड़ और ग़रूर में तुम एक दिन टूट जाओगे
मेरे चेहरे पर देखो, आत्मविश्वास के निशान हैं
मेहनत मेरा उद्देश्य है, स्वाभिमान मेरी पहचान है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निदेश

धारा 3(3) का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार कार्यालय आदेश, सूचनाएं, परिपत्र, विशेष परिपत्रक पत्र, संकल्प, प्रैस विज्ञप्तियाँ, विज्ञापन, अधिसूचनाएं करार, संविदा, निविदा, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन आदि दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ बनाना, निष्पादन करना और जारी करना अनिवार्य है।

राजभाषा नियम 1976 के उप नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से केवल हिन्दी में ही दिए जाएं।

'क' और 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएं।

किसी कार्यालय से भेजे जाने वाले कुल पत्राचार में हिन्दी का प्रायोग निम्नानुसार किया जाए।

क्षेत्र 'ग' से	'क' क्षेत्र को	'ख' क्षेत्रों को	'ग' क्षेत्रों को
	55	55	55

आंतरिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

प्राथमिक क्षेत्र, सुरक्षा एवं ग्राहक सेवा से संबंधित कार्य, बैंकर चेक हिन्दी में बनाए जाएं, विभिन्न रजिस्टरों जैसे आवक-जावक डाक रजिस्टर, खाता बहियां, प्रेषण पुस्तकं, लॉक बुक, हाज़िरी रजिस्टर आदि में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं, विभिन्न फार्म भरना जैसे अवकाश आवेदन-पत्र, यात्रा कार्यक्रम, यात्रा व्यय बल, वान व्यय, बिल, चिकित्सा बिल, त्यौहार, व्यैक्तिक, आवास ऋण, पत्रों, आवेदन पत्रों, अपीलों, नोटों आदि पर टिप्पणियां और संस्तुतियां हिन्दी में ही जाएं 'क' और 'ख' क्षेत्र को जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे जाएं।

हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का साथ-साथ प्रयोग

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित मदों के साथ-साथ विभिन्न बैठकों की कार्य सूची और कार्यविवरण, रजिस्टरों और फाइलों पर विषय शीर्ष, सभी फार्म, प्रलेख,

COMPLIANCE OF SECTION 3(3)

According to Section 3(3) of the Official Language Act 1963, it is mandatory to make, execute and issue the office orders, notices, circular, special circular letters, resolutions, press communiqués, advertisements, notifistrative reports etc. documents both in Hindi and English simultaneously.

According to Sub Rule 5 of Officeal Language Rules, 1976 all letters received in Hindi must be replied to in Hindi.

Out of total correspondence emanating from any office, Hindi should be used as under:

From Region C to	Region A	Region B	Region C
	55%	55%	55%

Use of Hindi in Internal Work

Work pertaining to priority sector, security and customer service to be done in Hindi, Banker Cheques to be prepared in Hindi, Entries in different Registers etc. Inward and Outward mail Register, Ledgers, Dispatch book, Log book, Attendance Register to be done in Hindi, Filling up various forms etc. leave Applications, Tour Programmes, Travelling Expenses Bill, Conveyance Bill, Medical Bills, Festival, Personal, Housing Loan etc. Writing Notings and Recommendations on letters, Applications, Appeal, Notes etc Addresses on Envelops being sent to Region A and B to be write in Hindi.

Use of Both Hindi and English Simultaneously

वाउचर आदि, पत्र शीर्ष, अर्धशासकीय पत्र शीर्ष, निफाफे तथा लेखन सामग्री की अन्य सभी मदें, साइन बोर्ड, नामपट्ट, संकेत पट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ की मुहर, पीतल की सील, विजिटिंग कार्ड, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, सभी प्रकार के प्रकाशन, विज्ञापन आदि अनिवार्यत: हिन्दी-अंग्रेजी (द्विभाषी रूप) में तैयार / निष्पादित / जारी किए जाएं ।

प्रशिक्षण

कार्यालय में हिन्दी शिक्षण/हिन्दी अंकण/हिन्दी आशुलिपि एवं प्रयोजनमूलक हिन्दी प्रशिक्षण के लिए शेष कार्मियों का रोस्टर तैयार करवाया जाए और उन्हें प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जाए।

कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य

कार्यालय के पी सी पर हिन्दी में कार्य करने हेतु कारपोरेट केन्द्र द्वारा मानकीकृत बहुभाषी सॉफ्टवेयर ए पी एस 2000+ + स्थापित करवाया जाए एवं इस पर कार्य करने हेतु स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए।

राजभाषा कार्यान्वयन समीति

प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की जाए - कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जाए। इसमें पिछली तिमाही की प्रगति की समीक्षा की जाए तथा इसका कार्यवृत्त नियंत्रण कार्यालय को दस दिन में भेज दिया जाए ।

हिन्दी तिमाही रिपोर्ट

कार्यालय की हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर, कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से तिमाही समाप्ति के 5 दिन में नियंत्रण कार्यालय को प्रेषित कर दी जाए।

Beside the items mentioned in Section 3(3) of Official Language Act, 1963 Agenda and Minutes of various Meetings, Subject heads on Registers and Files, All Forms, Documents, Vouchers etc. Letter-Heands, D.O. Letter heads, Envelops and all other items of stationery, Sign Boards, Name Plates, Brass Seal, Visiting Cards, Invitation Cards, Greeting Cards, Letter of thanks, All publications, Advertisements etc must be prepared executed and issued both in Hindi-English (bilingual).

Training

Office shouls maintain a register of roster of all staff members and depute them in Hindi training/Hindi typing/Hindi Stenography/ Functional Hindi Training Programme, who yet to be trained.

Hindi work in Computer

To work in Hindi in personal computer of office, for this APS 2000 ++ Multilingual software standardized by Corporate Centre to be loaded in the computer and to work on it, the staff should be trained.

O.L.I.C.

Official Language Implementation Committee should be set up at each office. The meeting of the official language implementation committee to be presided over by head of office, must be held at least once in each quarter and the minutes should be sent to the respective controlling office within 10 days.

Hindi Quarterly Report

The Hindi Quarterly report of the office filled in prescribed performa and duly signed by head of the office should be sent to its controlling office within five days, respective after the quarter is over.

हिन्दी पुस्तकें

प्रत्येक कार्यालय में पुस्तकालय पर खर्च की जाने वाली राशि का कम से कम 50 भाग हिन्दी पुस्तकों पर व्यय करें। इसके अतिरिक्त कारपोरेट केन्द्र के पत्र दिनांक 10 मई 2002 संख्या राभा/67 के द्वारा कम से कम रूपए 2000/- की हिन्दी पुस्तकें क्रय करने हेतु वार्षिक बजट उपलब्ध करवाया गया है।

'हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं'

हिन्दी शिक्षण योजना की प्रबोध, प्रवीण परीक्षा पास करने पर	रू. 750/-
हिन्दी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर	रू. 900/-
भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा पास करने पर	रू. 300/-
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की हिन्दी परिचय परीक्षा पास करने पर	रू. 300/-
भारतीय बैंक संघ की बैंकिंग उन्मुख हिन्दी परीक्षा पास करने पर	रू. 300/-
केन्द्रीय हिन्दी टंकण प्रशिक्षण योजना की हिन्दी टंकण/आशुलिपि परीक्षा पास करने पर	रू. 750/-

अंग्रेजी के अतिरिक्त 5 पत्र या नोट प्रतिदिन अथवा 300 पत्र या नोट प्रति तिमाही हिन्दी टंकण/आशुलिपि में रूपांतरित करने पर टंकण/आशुलिपि भत्ता देय होगा।

रू. 80/- प्रतिमाह टंकण भत्ता

रू. 120/- प्रतिमाह आशुलिपि भत्ता

आज का शब्द तिमाही शब्द ज्ञान प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रू. 100/- का पुरस्कार देय है।

स्टाफ सदस्यों के उत्साहवर्द्धन, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से हिन्दी के प्रति रूचि जागृत करने के लिए, राजभाषा मास (सितम्बर माह) के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए तथा चयनित प्रतिभागियों को रूपए 1300/-, 1200/-, 1100/-, 1000/- का क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाए।

उत्तरदायित्व

राजभाषा नियम 1976 के उप नियम 12 के अनुसार कार्यालय में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व उस कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का है।

Hindi Books

At least 50% of the total amount spent on library at each office should be spent on purchase oh Hindi Books. In addition to this, Corporate Centre has fixed minimum annual budget of Rs. 2000/- for purchase of Hindi Books for each office. Vide letter No. O.L./67 dated 10 May, 2002.

"INCENTIVE SCHEMES TO WORK IN HINDI"

To pass the Prabodh and Praveen Examination	Rs. 750/-
To Pass the Pragya Examination	Rs. 900/-
Other Examination recognized by Government of India	Rs. 300/-
Hindi Parichaya Examination conducted by Central Hindi Directotare	Rs. 300/-
Banking Orientation Paper in Hindi of Indian Institute of Bankers	Rs. 300/-
Hindi Typewriting/Stenography Examination conducted by Hindi Typewriting teaching scheme	Rs. 750/-

Typing of 5 letters / notes each day or 300 letters or notes in Hindi. In each quarter, in addition to English letters notes. Typing and stenography allowance will be paid.

Rs. 80/- per month Typing allowance

Rs. 120/- per month Stenography allowance

In "AAJ KA SHABD" quarterly Shabd Gyan Competition, each competitior scoring 90% and above marks should be awarded a prize of Rs. 100/-

To encourage and inspire the staff and to create interest in Hindi, various Hindi competitions should be organized in official language month (September month) and the selected participants should be rewarded by price of Rs. 1300/-, 1200/-, 1100/-, 1000/-, As respectively First, Second, Third and Consolation prizes.

Responsibility

According to Sub Rule 12 of Office Language Rules 1976 the Administrative Head of the office is responsible for implementation of the official Language Policy in his office.

एन.एच.सी क्षेत्र–। जम्मू द्वारा प्रायोजित बैठक में पुष्पगुच्छ से कार्यकारी अध्यक्ष नराकास डॉ. एस.सी.तनेजा का स्वागत करते हुए प्रमुख मानव संसाधन श्री संजय सरभई ।

आई.आई.आई.एम. जम्मू कान्फ्रेंस हॉल में नराकास जम्मू की बैठक में भाग लेते कार्यालय प्रमुखगण ।

संस्थान में हिन्दी सप्ताह, 2010 के दौरान समापन समारोह के अवसर पर दूरदर्शन केन्द्र जम्मू के निदेशक एवं मुख्य अतिथि श्रीमती नसीम खॉन तथा संस्थान के निदेशक डा0 राम विश्वकर्मा को स्मृति–चिन्ह भेंट करती हुई ।

हिन्दी कार्यशाला के दौरान भाग लेते हुए संस्थान के प्रतियोगी ।

नराकास बैठक में भाग लेते हुए सदस्य कार्यालय ।

भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय जम्मू में हिन्दी सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए उप महाप्रबंधक श्री के.के.अय्यर ।

भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू